खण्ड-262, अंक-7
शुक्रवार, 15 माघ, शक संवत् 1887
(4 फरवरी, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 262 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य		५७९–५८३
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में घटित घटना के सम्बन्ध में विवाद की मांग ..		५८३–५८७
प्रश्नोत्तर		५८७–६०२
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में घटित घटना के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं		६०२–६११
सीतापुर जिले के सदरपुर थाने में श्री नन्दा के बनावटी कत्ल के मुकदमे के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (सम्बंधित सदस्यों के उपस्थित न होने के कारण विषय समाप्त)		६११
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६ (पुरःस्थापित किया गया)		६१९
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उपकुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित)		६१९–६२५
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय, (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित)		६२६–६२७
नस्थियां		६२८–६३५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ४ फरवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६६

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह मदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री

टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री

पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री

रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री

सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेंद्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होसीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उप मंत्री, डा० रामनारायण पांडेय, भी उपस्थित थे ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में घटित घटना के सम्बन्ध में विवाद की मांग

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, बनारस यूनिवर्सिटी में एक बड़ी घटना हो गई । वह कदाचित् आपके नोटिस में आई होगी ।

श्री अध्यक्ष—

उस संबंध में आपने कामरोको प्रस्ताव दिया है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह ऐसी स्थिति है जिस पर सबसे पहले विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

इसको प्रश्नों के बाद ले लीजियेगा ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मेरा खयाल है कि आज तक इस देश के अन्दर इस प्रकार की घटना नहीं हुई होगी । आज तीन रोज से पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में हम बराबर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं बराबर नित्य प्रति बढ़ती जाती हैं कि हमारी प्रार्थना पर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता । कामरोको प्रस्ताव भी हम लाते हैं लेकिन हमारी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है । इस तरह से सदन का कार्य करना मुश्किल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

हो जायगा। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के छात्र को पुलिस की ट्रक ने कुचल डाला। मैं इसके विवरण में नहीं जाऊंगा। आप यह दोनों वरजन पढ़ लें। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कि वहां पर पुलिस ने कितनी ज्यादती की और उसने क्या किया। जब विद्यार्थी एकत्रित हुये तो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने आकर छात्रों को डिस्पर्स किया। उसके बाद पुलिस फिर घुस आई और दरवाजा तोड़कर विद्यार्थियों को मारा और उनको मारने के लिये वह वहां चली गई जहां विद्यार्थी काउन्टर पर डिग्री ले रहे थे। जब वायस-चांसलर और दूसरे यूनिवर्सिटी के अधिकारी आये तो उन्होंने विद्यार्थियों को डिस्पर्स किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बचन दिया कि आगे ऐसा नहीं होगा और पुलिस वापस चली जायेगी। उसके बाद भी एक प्लाटून वहां चली आई और उसने आकर टीचर, प्रोफेसर, डीन और रीडर सबको मारा। जब हम इस तरह से देखते हैं कि प्रांत में हो रहा है तो हम सदन का कार्य चलाकर क्या करेंगे? जब हमारी मुख्य मंत्री जी हमारी बात नहीं सुनेंगी और हमारे होम मिनिस्टर वही रहेंगे और उनको हटाया नहीं जायगा तो ये घटनाएं इसी तरह से बढ़ती रहेंगी और कोई सूरत ऐसी नहीं होगी जिसमें सुधार की आशा की जा सके।

श्री अध्यक्ष—

जो हमारे सदन के नियम हैं वह यह हैं कि ऐसी घटनाओं पर कार्य स्थगन हो सकता है या और कोई तरीका हो सकता है। लेकिन प्रश्नों के बाद यह प्रश्न उठायें तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

हम रोज कामरोको प्रस्ताव देते हैं पर उनकी भी इजाजत नहीं मिलती है कि बहस हो जाय। इस कारण हमारे दिल की बात हमारे अन्दर ही रह जाती है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के अनन्तर आप बोल लीजियेगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मुख्य मंत्री जी यहां पर स्पष्ट आश्वासन दें कि गृह मंत्री महोदय को यहां से बदला जायगा। तब सदन का काम आगे चलेगा।

श्री अध्यक्ष—

मेरा आपसे इतना निवेदन था कि प्रश्नों के बाद इसको ले लेते तो अधिक सुविधाजनक होता।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आपको अधिकार मिला हुआ है कि किसी नियम को आप निरस्त कर सकते हैं। हमारी मांग है कि इस नियम को आप निरस्त कर दें। आप देखेंगे कि सवालों का जो घंटा होता है उसमें ९९ फीसदी सवाल हमारे ही होते हैं। हमारी सबकी यह इच्छा है कि सवालों का घंटा निरस्त कर दिया जाय और इस विषय पर विचार हो। मैं समझता हूं इसको आपको स्वीकार करना चाहिये। यह सवाल बहुत महत्व का है

अध्यक्ष महोदय, वाइस-चांसलर के बयान को आपने देखा होगा। बिना उन से पूछे हुए, बिना उन की अनुमति के पुलिस विश्वविद्यालय में चली गयी और अकारण विद्यार्थियों को मारा। इस प्रकार की घटनायें आये दिन हो रही हैं और आपको जानकारी भी है। उधर के माननीय सदस्यों ने भी सरकार से मांग की, मुख्य मंत्री से मांग की, गवर्नर और राष्ट्रपति से मिले, कि इस प्रदेश के होम मिनिस्टर को निकाला जाय, उनसे इस्तीफा लिया जाय...

श्री अध्यक्ष---

आप चाहते क्या हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं चाहता हूं कि आप इस कामरोको प्रस्ताव को फौरन लें और इस प्रश्न के घंटे को निरस्त किया जाय और अगर कृपालानी जी को गृह मंत्री के शासन से बहुत मुहब्बत हो तो अपने गृह मंत्री जी को वह उनके पद से हटा कर दूसरा विभाग दे देवें। जितनी ताकत हमें जनता ने दी है आज हम इजहार करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस काम में आप हमारी मदद करें।

श्री उग्रसेन(जिला देवरिया)---

इस सरकार की पुलिस ने कत्लेआम किया है। सरकार इस्तीफा दे, नहीं तो हरगोबिन्द-सिंह को निकाले और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग कैसे बैठेंगे ? वहां प्रोफेसर मारे गये, डाक्टर मारे गये, जबरदस्ती फाटक तोड़ कर पुलिस अन्दर घुस आयी। अंग्रेज हुकूमत की हिम्मत नहीं थी कि उस जमाने की पुलिस फाटक तोड़ कर अन्दर आती। आज यह सरकार अंग्रेजों से भी गयी-गुजरी है। सबसे कहा गया कि हरगोविन्दसिंह को निकाला जाय। आज हम उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से कह रहे हैं कि अब इस सरकार को बरदाश्त नहीं करेंगे, गृह मंत्री को अब बरदाश्त नहीं करेंगे। अगर यह हटेंगे तभी सदन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा।

श्री नेकराम शर्मा(जिला अलीगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि चूंकि यह महत्व का प्रश्न है और प्रश्नों का घंटा विरोधी दल का होता है और हम इसको नहीं लेना चाहते, इसलिये हमारी मांग है कि इस प्रश्न पर अभी विचार किया जाय। श्रीमन्, टी०टी० कृष्णमाचारी के खिलाफ केवल २० एम०पीज० ने लिख कर दिया था और वह निकाल दिये गये, लेकिन, श्रीमन्, आपने देखा और स्वयं पढ़ा होगा....

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, इसके माने यह हैं कि एडजर्नमेंट मोशन तुरन्त ले लिया जाय ?

श्री नेकराम शर्मा---

हमारा प्रस्ताव यह है कि अपोजीशन का प्रश्नों का घंटा होता है, उसको छोड़ कर इसी वक्त इस प्रश्न पर बहस शुरू कर दी जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर सवाल है और माननीय सदस्यों ने इसका विवरण दिया है। आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा। सन् १९५६ के बाद इस तरह की जो दुर्घटना बनारस में हुई है इस पर आपको गंभीरतापूर्वक विचार करने का अवसर प्रदान करना चाहिये। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लड़का दबा है वह यूनिवर्सिटी के बाहर से अन्दर जा रहा था और दबा। और जो कुछ हुआ उसके बाद विश्वविद्यालय का फाटक बन्द कर दिया गया था और बाद में पी०ए० सी० और पुलिस के जवान आये। उन्होंने फाटक तोड़ डाला और अन्दर घुस गये। एक टुकड़ी पुलिस की पिछले दरवाजे से घुस आयी और महिला छात्रावास के पास पहुंच गयी और छात्राओं को बुरी तरह पीटा। मैं समझता हूं कि यह बहुत गंभीर मसला है इसलिए आप क्वैश्चन आवर को खत्म करें और शुरू में ही इस पर बहस करावें और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाया है कि जो पुलिस ने इस तरह का गुनाह किया है, उसे प्रकाश में लावें। पुलिस का काम केवल फर्जी मुकदमे चलाना, लोगों को फंसाना तथा लाठी गोली चलाना रह गया है।

(व्यवधान)

(विरोधी दल के समस्त सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

हरगोविन्दसिंह को हटाइये।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

जब तक यह (**) गृह मंत्री यहां बैठा हुआ है, हम बैठ नहीं सकते हैं। या तो गृह मंत्री रहेगा या हम रहेंगे। हरगोविन्द सिंह जैसे (**) के रहते हम यहां नहीं बैठ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बोल लीजियेगा। बैठिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपने सदन के नियमों का हवाला दिया। जब इस राज्य के गृह मंत्री और सारे मंत्री नियमों को तोड़ करके काम कर रहे हैं उस समय हम लोग नियमों के अनुसार कैसे काम करें, इस पर आप व्यवस्था दें। पुलिस बिना किसी आदेश के भूखे भेड़िये की तरह से घुस पड़ी, अंग्रेजी राज्य में भी ऐसी बात नहीं हुई थी।

श्री अध्यक्ष—

काशीनाथ जी, मैं किसी को कोई बात कहने से नहीं रोकता। मेरा निवेदन सुन लिया जाय। आप कहते हैं कि प्रश्न न लिये जायं....

श्री काशीनाथ मिश्र—

और हरगोविन्दसिंह को हटा दिया जाय, यहां वह बैठे नहीं रह सकते।

श्री उग्रसेन—

आपके रहते पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, आप हमारी रक्षा क्या कर रहे हैं? जिन्होंने चुनकर भेजा है उनकी क्या रक्षा कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, मेरा निवेदन है कि हमारे पास नियम, साधन और तरीके हैं। उनको हम अंगीकार कर सकते हैं, उन बातों को लाने के लिये सदन के समक्ष, जिनको कि आप लाना चाहते हैं। इस समय प्रश्नों का समय था और आप कहते हैं कि प्रश्न न लिये जायं। ठीक है, यह समझा जायगा कि विरोधी दल द्वारा जितने प्रश्न किये गये हैं उनके उत्तर दिये जा चुके हैं। अब मैं सरकारी पक्ष से पूछना चाहता हूं। अगर उधर के माननीय सदस्य भी मान लें कि उनके प्रश्न के उत्तर दिये हुए समझे जायं तो प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो जायगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आप नियम सस्पेंड कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप आसन गृहण कर लें तो बड़ी कृपा हो। आप चाहते हैं कि फौरन कार्य-स्थगन ले लिया जाय। तो वह तभी हो सकेगा।

(**) मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार हटा दिये गये।

(सभी विरोधी दल के सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

श्री अध्यक्ष—

सरकारी पक्ष से—क्या आप लोग इस बात के लिये राजी हैं कि जो प्रश्न आपकी ओर से दिये गये हैं वह आज उत्तर दिये हुए समझे जायं और प्रश्नों का समय समाप्त हो ?

(किसी के आपत्ति न करने पर)

तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

तो हमारे प्रश्न दूसरे दिन लिये जायेंगे ?

श्री उग्रसेन—

ये नहीं लिये जायेंगे, उत्तर दिये हुए मान लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मिश्र जी, आप बैठें। अब कोई आपत्ति न होने की वजह से मैं इस परिणाम पर पहुंचता हूं कि आज के प्रश्न उत्तर दिये हुए समझे जाते हैं और प्रश्नों का समय समाप्त होता है।

प्रश्नोत्तर*

शुक्रवार, ४ फरवरी, १९६६

तारांकित प्रश्न

[सार्वजनिक निर्माण मंत्री की प्रार्थना पर २८-१-६६ के स्थगित प्रश्न]

नैपाल को तारकोल ले जाने वाली ट्रक का बांसी घाट पर पकड़ा जाना

*१—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या यह सत्य है कि जून, १९६५ के प्रथम सप्ताह में किसी दिन बस्ती जिले में बांसी घाट पर राप्ती नदी का पुल पार करते हुए एक ट्रक पकड़ी गई जिसमें कि ५० पीपा तारकोल पकड़ा गया, जो कि चोरी से नैपाल भेजा जा रहा था एवं उक्त तारकोल सार्वजनिक निर्माण विभाग का था ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

१ जून, १९६५ में अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती ने राप्ती नदी के बांसी घाट पुल पर तारकोल के पीपों से लदी एक ट्रक खड़ी पाई, जिसकी जांच पर उन्होंने कुछ पीपे सार्वजनिक निर्माण विभाग के चिन्ह लगे हुए पाये। सन्देह होने पर उन्होंने मामला पुलिस को सौंप दिया। इस संबंध में पुलिस की जांच अभी समाप्त नहीं हुई है।

*२—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि तारकोल नैपाल भेजने में सरकारी कौन कौन अधिकारी शामिल थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

गुप्तचर विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। जब तक जांच पूर्ण न हो जाय, यह कहना कठिन है कि कौन कौन सरकारी कर्मचारी इसके लिये उत्तरदायी हैं। फिलहाल इस संबंध में एक ओवरसियर के निलम्बन के आदेश दिये जा चुके हैं।

* * * *

---

*विधान सभा की कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियमावली के नियम ४२ के अन्तर्गत छापे गये।

सहसवान-बबराला सड़क पर बाई पासेज के लिये अध्याप्त भूमि का प्रतिकर

*६—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर रखे हैं उनके खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पुलिस तथा मैजिस्ट्रेट की मदद से तमाम अस्थायी अतिक्रमण हटा दिये गये हैं। स्थायी अतिक्रमणों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के पहले आबादी के तमाम भागों का विस्तृत सर्वे कराना आवश्यक था। यह सर्वे अब पूर्ण हो चुका है और मुकदमे के लिये वकील भी नियुक्त किये जा चुके हैं। अब शीघ्र ही इन अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध मुकदमे चालू करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

* * * *

कोहडार घाट रोड

*२२—श्री सत्यनारायण पान्डेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की सरकारी कोडहार घाट रोड को पक्की बनाने के लिये धनराशि कब स्वीकृत हुई थी और यह अभी तक क्यों नहीं बनी तथा कब तक बन जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत सड़क के लिये धनराशि अप्रैल, १९६० में स्वीकृत हुई थी। भूमि प्राप्ति में देरी और ठेकेदारों तथा खदान के मालिकों द्वारा उठाये गये झगड़ों के कारणों से सड़क के निर्माण में विलम्ब हुआ। बरहदा गांव के अन्दर २।। फर्लांग सड़क को छोड़कर शेष सड़क का निर्माण कार्य आगामी मार्च तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

आजमगढ़ जिले का बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र

*२३—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के पश्चिमी भाग में स्थित अतरौलिया, कोयलसा तथा अहरौला विकास खन्डों में, जहां टोंस छोटी सरजू तथा पिकिया नदियां गुजरती हैं, बाढ़ से प्रति वर्ष फसलों को काफी क्षति पहुंचती है और इन नदियों के कारण उन क्षेत्रों के निवासियों को बरसात भर यातायात में भी असुविधा रहती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिस वर्ष भी इन नदियों में विशेष बाढ़ आती है तो यह क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त हो जाता है और यातायात में भी असुविधा रहती है।

*२४—श्री बृजबिहारी—

क्या सरकार बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्रों में स्थित इन नदियों पर पुल अथवा पुलिया निर्माण कराने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

* * * *

चीफ इंजीनियर के पी० ए०, श्री जे० बी० माथुर, के विरुद्ध आरोप

*३०—श्री महम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री जे० बी० माथुर, पी० ए० टू चीफ इंजीनियर, पी० डब्लू० डी०, पर कै बार सरकारी रकम की गलत इस्तेमाल या उसको खुर्द बुर्द करने के आरोप लगाये गये तथा क्या यह सही है कि इन पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी हुआ था जो इनकी तनख्वाह से काटा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्री माथुर के विरुद्ध केवल एक बार ऐसा आरोप लगा था। उन पर न कभी ५००० रुपये जुर्माना हुआ न उनकी तनख्वाह से कटा।

* * * * *

सार्वजनिक निर्माण विभाग, बलरामपुर में जीपें

*३३—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोन्डा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अस्थाई मार्ग निर्माण खन्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बलरामपुर, जिला गोन्डा, में अधिकारियों के प्रयोग में कितनी जीपें दे रखी हैं ? क्या उनमें सभी जीपें चालू हालत में हैं ? यदि नहीं, तो कितनी जीपें खराब होने के कारण प्रयोग में नहीं लायी जा सकती हैं और उनके खराब होने के क्या कारण हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अस्थाई मार्ग निर्माण खन्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बलरामपुर, जिला गोन्डा, में अधिकारियों के प्रयोग में दो जीपें हैं। दोनों जीपें चालू हालत में हैं।

*३४—श्री सुखदेवप्रसाद—

उक्त विभाग की सब जीपों का माहवारी खर्च क्या है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

उक्त विभाग की दोनों जीपों का औसतन माहवारी खर्च ६०० रुपये हैं।

बलरामपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क

*३५—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोन्डा)—

क्या सरकार को पता है कि गोन्डा जिले में बलरामपुर, मसौतीगंज, उतरौला में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क १ मील से ३ मील तक तथा श्री दत्तगंज से बाजार पास १ मील तक बिलकुल जीर्ण शीर्ण है; तो क्या उसकी सरकार मरम्मत कराने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां, सड़क के इन भागों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

घाघरा पर दोहरी घाट पुल निर्माण

*३६—श्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या निर्माण मंत्री दिनांक २६ मार्च, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या ४, ५ और ६ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि आगणन की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई कि नहीं तथा उक्त दिनांक के बाद स्वीकृति हतु प्रादेशिक सरकार की ओर से कब कब स्मृति पत्र भेजे गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पुल के निर्माण के आगणन को स्वीकृति भारत सरकार ने पत्र दिनांक २७ अप्रैल, १९६५ में प्रदान कर दी है। बड़हलगंज की ओर संबंधित सड़क का आगणन भारत सरकार को उनकी स्वीकृति के लिये दिसम्बर १९६५ में भेजा गया है। दोहरी घाट की ओर को संबंधित सड़क का आगणन अभी तैयार किया जा रहा है।

* * * * *

उतरौला-रसूलाबाद मार्ग

*४६—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

जिला गोन्डा में उतरौला से रसूलाबाद जाने वाली लोटरत्न हाई वे का जो निर्माण कार्य हो रहा है उसके संबंध में क्या सरकार निम्नलिखित बातें बताने की कृपा करेगी—

(१) यह मार्ग कितना लम्बा है और उस पर कौन कौन ओवरसियर काम कर रहे हैं, (२) किस-किस ओवरसियर को कितने मील का काम सौंपा गया है, (३) प्रत्येक ओवरसियर ने अपने क्षेत्र में दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६५ तक क्या क्या काम कितने-कितने लागत का किया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

[देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६२८ पर।)

* * * * *

अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ सड़क पर दनियां इंस्पेक्शन हाउस

*५१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या निर्माण मंत्री जी को यह मालूम है कि अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ सड़क पर मुकाम दनियां पर जो इन्स्पेक्शन हाउस है जो कि लगभग १० साल से बना हुआ है उसमें अब भी पानी का प्रबन्ध नहीं है जिससे वहां ठहरने की अधिक कठिनाई होती है ? क्या उसका उचित प्रबन्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

दनियां में केवल विभागीय कर्मचारियों के लिये एक विश्राम गृह है, कोई निरीक्षण भवन नहीं है।

इस भवन के पास एक चश्मा है जिससे ठहरने वाले विभागीय कर्मचारी पानी ले लेते हैं। इस भवन पर कुछ विशेष व्यय करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

तारांकित प्रश्न

[४ फरवरी, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

*१–३—श्री झारखन्डे राय (जिला आजमगढ़)—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

गोंडा जिले में सड़कों पर मिट्टी डालने का ठेका

*४—श्री सूरज लाल गुप्त वकील—

क्या यह सत्य है कि उतरौला-रसूलाबाद रोड पर मील १ फर्लांग १ व ३ में श्री लक्ष्मी चन्द ठेकेदार ने मिट्टी का कार्य किया है, उसने जो काम किया है उसको उसका भुगतान किया गया कि नहीं ? यदि नहीं, तो किन कारणों से उसका भुगतान अब तक नहीं किया गया ?

क्या श्री लक्ष्मी चन्द्र ठेकदार ने अपने बांड की शर्तों के मुताबिक काम पूरा किया ? यदि नहीं, तो उसके साथ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

श्री लक्ष्मी चन्द ठेकेदार ने उतरौला-रसूलाबाद मार्ग पर मिट्टी का कार्य नहीं किया है और उनको इसके भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। उनकी जमानत जब्त कर ली गई है।

*५—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोन्डा जिले में श्री दत्तगंज के पास बन रहे बाई पास पर जिस ठेकेदार ने मिट्टी का काम किया था क्या उसने अपने बांड की शर्तों के मुताबिक काम पूरा किया ? यदि नहीं, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

ठेकेदार ने कार्य किया था परन्तु उसको पूरा नहीं किया, उनसे क्षति मूल्य वसूल किया गया।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, आजमगढ़, का भवन

*६—श्री रामसुन्दर पान्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री दिनांक २३ अप्रैल, १९६५ के तारांकित प्रश्न ३ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इन्टर कालेज, आजमगढ़, के भवन निर्माण की क्या व्यवस्था की जा रही है और उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर, द्वारा इस संबंध में सरकार को क्या राय दी गई है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

राजकीय बालिका इन्टर कालेज, आजमगढ़ के भवन निर्माण हेतु दिनांक ८ अक्तूबर, १९६५ को ३.६८ लाख रु० का प्रशासनिक अनुमोदन दिया जा चुका है। अब सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण की औपचारिक कार्यवाही की जा रही है।

उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर ने भवन निर्माण हेतु कोई राय सरकार को नहीं दी है।

*७—श्री रामसुन्दर पान्डेय—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया।]

स्टेट हाईवेज़ तथा हैदरगढ़-महाराजगंज विलुप्त कड़ी

*८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने किन-किन मार्गों को अब तक स्टेट हाई वेज घोषित किया है और इनमें कहां-कहां कच्ची विलुप्त कड़ियां हैं ? क्या सरकार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जो सड़कें स्टेट हाईवेज घोषित की गई हैं उनकी तथा विलुप्त कड़ियों की एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६२९–६३० पर)

*९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि उक्त स्टेट हाई वेज में हैदरगढ़ से महाराजगंज की भी विलुप्त कड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मार्ग का सर्वे कर स्टीमेट तैयार कर विचार के लिये

प्रथम वर्ष की योजना में शामिल कर लिया है ? यदि हां, तो इस मार्ग पर कितना धन व्यय होगा और कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उक्त हाई वेज में हैदरगढ़-महाराजगंज की विलुप्त कड़ी भी शामिल हैं। इसके सर्वेक्षण तथा आगणन की तैयारी के आदेश दे दिये गये हैं। जब तक इसका आगणन न तैयार हो जाय तब तक इसके निर्माण की स्वीकृति नहीं प्रदान की जा सकती। तब तक यह भी बतलाना संभव नहीं है कि इसके निर्माण में कितना धन व्यय होगा।

संस्कृत विद्यालयों को सहायता तथा संस्कृत अध्यापकों का वेतन

*१०—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है और उन्हें सरकारी सहायता देने का आधार क्या क्या निश्चित किया गया है ?

श्री राममूर्ति—

सूचना संलग्न तालिका "क" में दी गई है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ६३१ पर)

*११—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पान्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, और प्रदेश के अन्य संस्कृत विद्यालयों में आचार्य की शिक्षा देने वाले अध्यापकों का वेतन-क्रम अलग अलग क्या है ?

श्री राममूर्ति—

संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी और प्रदेश के अन्य संस्कृत विद्यालयों में केवल आचार्य की शिक्षा देने वाले अध्यापकों का कोई पृथक वेतन-क्रम नहीं है। संस्कृत विश्व-विद्यालय तथा अन्य संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-क्रम संलग्न तालिका "ख" में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे ६३२ पृष्ठ पर)

आजमगढ़ जिले में प्रसार अध्यापकों का स्थानान्तरण

*१२—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पान्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में आजमगढ़ जिले में किन किन प्रसार अध्यापकों के स्थानान्तरण के आदेश अन्य जिलों के हेतु किये गये थे और फिर उन्हें रोक देने का कारण क्या है ?

सूचना एकत्रित की जा रही है।

चकबन्दी आफिसर, दिबियापुर, के विरुद्ध शिकायत

*१३—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या सी० ओ० दिबियापुर (इटावा) ने जन आर्थिक स्वयं सहायक समिति के टिकिट अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बेचें ? यदि हां, तो किस किस को और क्या यह सच है कि उनमें सर्व श्री विद्याराम कानूनगो, गौरीशंकर कनौजिया कानूनगो, भानु प्रकाश तिवारी, लेखपाल को भी बेचें ?

*१४—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरी उपरोक्त संदर्भ में चकबन्दी कमिश्नर को की हुई शिकायत पर कोई जांच हुई ? यदि हुई, तो क्या कार्यवाही की गई और क्या सरकार पद के प्रभाव से अनुचित लाभ उठाने के आरोप पर इस प्रश्न को सतर्कता आयोग में देने पर विचार करेगी ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

चकबन्दी आयुक्त के पास माननीय सदस्य ने जो शिकायत की थी उस पर जांच अभी पूरी नहीं हुई है। चकबन्दी आयुक्त को आदेश दिये जा रहे हैं कि वह जांच अविलम्ब पूरी करें और नियमानुकूल उचित कार्यवाही करें।

देवरिया जिले में भूदान तथा अधिकतम जोत सीमा के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

*१५—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में अधिकतम जोत सीमा के अन्तर्गत कुल कितनी भूमि सरकार को प्राप्त हुई है और सरकार ने उसका क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

१,८९३ एकड़ भूमि अभी तक प्राप्त हुई है जिसमें से ३७३ एकड़ भूमि खेती के लिये उठाई जा चुकी है।

*१६—श्री उग्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में भूदान में दान की गई कुल कितनी भूमि कहां-कहां है ?

श्री हुकमसिंह विसेन—

जिला देवरिया में भूदान में कुल २,७८३–२९ १/२ एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी जिसका विवरण यह है—

तहसील देवरिया में ४१–६१ एकड़, तहसील सलेमपुर में २,५८०–४२ १/२ एकड़, तहसील हाता में ९९.४३ एकड़ एवं तहसील पडरौना में ६१.८३ एकड़ है। समस्त भूमि का ग्रामवार विवरण मेरे पास कार्यालय में देखा जा सकता है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् सम्बन्धी अध्यापकों को आश्वासन

*१७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या यह सत्य है कि शिक्षा मंत्री ने विगत माह में माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं से सम्बन्धित शिक्षकों के असहयोग आन्दोलन में भाग लेने वाले सभी शिक्षकों को यह आश्वासन दिया था कि ऐसे शिक्षकों को शिक्षा विभाग किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचायेगा ?

श्री राममूर्ति—

जी हां।

उसी आशय का एक शासकीय आदेश भी २० मई, १९६५ को जारी हुआ है।

बिन्दकी तहसील में कथित निलम्बित लेखपाल

*१८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर की तहसील बिन्दकी के ऐसे कौन से लेखपाल हैं जिन्हें जनवरी, १९५८ से मई, १९६१ तक मुअत्तल रखा गया और बहाल होने पर भी उनकी सालाना वृद्धि का बकाया व इधर की वृद्धि अब तक नहीं दी गयी और इसका कारण क्या है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—

इस प्रकार का कोई नहीं है ।

*१९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बिन्दकी के ऐसे कौन से लेखपाल हैं जिन्हें सन १९६४–६५ में बिना चार्ज साबित हुये मुअत्तल करके ६–६ महीने तक न तो सुनवाई की गई, न एलाउन्स दिया गया और न सफाई व बिरह का मौका ही दिया गया ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—

इस प्रकार का कोई नहीं है ।

*२०—श्री चन्द्रवलीसिह (जिला देवरिया)—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मंझनपुर तहसील में लेखपालों की अवस्था दर्ज करने में गड़बड़ी

*२१—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि सन् १९६३–६४, १९६४-६५ में प्रयाग जिले की तहसील मंझनपुर के कुछ लेखपालों की अभिलिखित आयु को तहसील रेकार्ड में १५ वर्ष से ८ वर्ष तक कम कर दिया गया है ? यदि हां, तो किसके आदेश से तथा क्यों ? क्या उन लेखपालों के नाम व पते भी बताने की कृपा करेंगे कि जिनकी आयु कम की गई है ?

श्री हुकर्मासिह बिसेन—

जी नहीं । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

*२२—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

[दूसरे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२३—श्री टम्मेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

*२४–२५—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बस्ती में स्थगित मालगुजारी की वसूली

*२६—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला बस्ती में तमाम ऐसे गांवों में ऐसी मालगुजारी वसूल की जा रही है जिसकी छूट पारसाल दी जा चुकी थी ? क्या इन गांवों में अधिकांश ऐसे गांव हैं जहां बीसों वर्ष से बराबर सैलाब आता रहा है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—

बस्ती जिले में गत खरीफ १३७२ फसली को बाढ़ तथा जलप्लावन से पहुंची क्षति स्वरूप स्थिति ध्यान में रखते हुये मालगुजारी का स्थगन ही स्वीकार किया गया था । स्थगन की अवधि समाप्त हो जाने पर वसूली नियमानुसार होने लगी है ।

*२७—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त जिले में विभिन्न तहसीलों में इस वर्ष सूखा से होने वाली हानि की कितनी छूट कितने गांवों में दी गयी ? यदि किसी में नहीं दी गयी, तो क्या कारण है ? क्या सरकार वसूली तत्काल बन्द कराने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बस्ती जिले में खरीफ १३७३ फसली को सूखे से पहुंची क्षतिस्वरूप अन्तिम सहायता प्रस्ताव अपेक्षित है और उसके प्राप्त होने पर नियमानुसार जैसा आवश्यक होगा स्थगन या छूट दी जावेगी ।

प्रारम्भिक रूप में जिन खातों पर ५० पै० या अधिक की क्षति अनुमानित की गई है उनकी मालगुजारी की वसूली स्थगित कर दी गई है ।

टाम्सन इंटर कालेज, गोंडा, की रसायनशाला में अग्निकांड

*२८—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि गोंडा के टाम्सन इंटर कालेज की विज्ञान प्रयोगशाला में भीषण अग्निकांड हो गया जिसके परिणामस्वरूप ४ छात्रों की मृत्यु हो गई तथा अनेक घायल हो गये ?

श्री राम मूर्ति—

जी हां ।

*२९—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित घटना का कारण क्या था ?

श्री राममूर्ति—

२३ नवम्बर, १९६५ को अपरान्ह में विद्यालय की रसायन प्रयोगशाला में एक प्रयोग करते समय कक्षा १२ का एक छात्र सोडियम गरम कर रहा था कि अचानक उसका एक जलता हुआ छोटा सा कण छिटककर पास में ही रखे एक स्प्रिट के भरे ड्रम में जा गिरा जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट हुआ तथा प्रयोगशाला में आग लग गई ।

*३०—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३१-३२—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सहारनपुर जिले में जनता रोड का निर्माण

*३३—श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला सहारनपुर में ब्लाक पुवांरका में चकरोड (जनता रोड) १९६२ से बनने की योजना बनी और कुछ सड़क बनी और कुछ शेष पड़ी है, वह कब तक पूरी बन जावेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना काल में ३ मील ५५० फीट की लम्बाई में जनता रोड का निर्माण स्वीकृत किया गया था । इसका निर्माण जुलाई १९६४ में पूर्ण हो गया था । इस मार्ग के शेष भाग के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

जौनपुर जिले में सड़कों का निर्माण

*३४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जिला जौनपुर में सुजानगंज–मछलीशहर कच्ची सड़क को पक्की करने हेतु सरकार की ओर से क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क का निर्माण चार पूर्वी जिलों की विशेष योजना में स्वीकृत किया गया है और इस पर निर्माण कार्य प्रगति में है ।

*३५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला जौनपुर में मुंगराबादशाहपुर, रामनगर—बेलावर कच्ची सड़क को पक्की करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत सड़क के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है ।

मगलसी ग्राम सभा की भूमि

*३६—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले की तहसील फैजाबाद के ग्राम मगलसी में चकबन्दी के पूर्व ग्राम समाज की कितनी भूमि थी ? चकबन्दी के बाद कितनी भूमि रह गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चकबन्दी के पूर्व ग्राम मगलसी उपरहार की १२१ बीघा २ बिस्वा भूमि गांव सभा में निहित थी। चकबन्दी के उपरान्त गांव सभा में निहित भूमि का क्षेत्रफल १९५ बीघा ११ बिस्वा १९ बिस्वांसी है।

*३७—श्री धूमप्रसाद—

मगलसी ग्राम में चकबन्दी के बाद ग्राम समाज के पास जो भूमि बची क्या उसका पुनर्वितरण सभापति द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो किस–किस व्यक्ति को कितनी–कितनी भूमि मिली ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

छिबरामऊ–फर्रुखाबाद सड़क का निर्माण

*३८—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जिले में मुहम्मदाबाद—छिबरामऊ सड़क की योजना जो पिछले युद्धोत्तर योजनाओं के अन्तर्गत रखी गई थी और तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर उसे निकाल दिया गया था उसके निर्माण को सरकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की कृपा करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

इस सड़क का निर्माण दूसरी पंच वर्षीय योजना में सम्मलित किया गया था, किन्तु स्थानीय जनता के आग्रह पर इसके स्थान पर छिबरामऊ–फर्रुखाबाद सड़क का निर्माण योजना में सम्मिलित किया गया। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में इस सड़क का सम्मिलित होना उसके आकार तथा रूप रेखा पर निर्भर करेगा ।

हांसनगर नई बस्ती के कटान पीड़ितों को भूमि

*३९—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या माल मंत्री को पता है कि बलिया कलक्टरी से बलिया तहसील अन्तर्गत हल्दी नयी बस्ती हांसनगर (रटनछपरा) के कटान पीड़ितों को बसाने के लिये सन् १९५३-५४ में जो जमीन सरकार द्वारा अधिकृत की गयी थी और उसमें प्लाट काट कर कटान पीड़ित भूमिहीनों को बसाया गया था उस बस्ती में प्लाट नं० ४४, ४५, ४६ व ४७ सन् १९५४ में किन-किन व्यक्तियों को एलाट किये गये थे और आज कल इन प्लाटों पर किन-किन लोगों का कब्जा दखल है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस बस्ती के प्लाट नं० ४४ के वर्तमान अधिकार के संबंध में दो पक्षों में बात चल रहा है। प्लाट नं० ४५ पर एक कुंआ स्थित है। प्लाट नं० ४६–४७ श्रीमती झरिया व स्त्री श्री शिवराज मल्लाह, को सन् १९५४ में एलाट किये गये थे और अभी भी उन्हीं के कब्जे में हैं।

असरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के पदों का प्रान्तीयकरण

*४०—श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैरसरकारी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य के पद का प्रान्तीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। इस विषय पर इन्टरमीडिएट बोर्ड तथा राधाकृष्ण कमेटी की संस्तुतियां प्राप्त हुई हैं, जो विचाराधीन हैं।

*४१–४२—सुखदेव प्रसाद—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४३–४४—बृजमोहन लाल गुप्त—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

सहायक चकबन्दी अधिकारी, बेहलिया खेड़ा, के विरुद्ध शिकायतें

*४५—श्री लोकपाल सिंह (जिला एटा), श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी), श्री राजेन्द्र सिंह (जिला एटा), श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री मन्ना लाल (जिला खीरी)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, मई, जून, १९६५ में ए० सी० ओ० बहोलिया खेड़ा, सर्किल मोहम्मदी, खीरी, के विरुद्ध घूस लेने, पक्षपात करने तथा भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अप्रैल, मई, जून, १९६५ में सहायक चकबन्दी अधिकारी बहेलिया खेड़ा सरकिल मोहम्मदी, जिला खीरी, के विरुद्ध भ्रष्टाचार की २३ शिकायतें प्राप्त हुईं। जांच पर सहायक चकबन्दी अधिकारी को सेन्स्यो किया गया और उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध करार दी गई।

*४६–४७—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४८–४९—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिये गये।]

अतिरिक्त उपविद्यालय निरीक्षक का पद

*५०—श्री सुखलाल (लखनऊ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह अतिरिक्त उपविद्यालय निरीक्षक का पद पुनः सृजन करने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—

अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक के पदों को पुनः सृजित करने पर शासन ने विचार किया किन्तु मितव्ययिता की पृष्ठभूमि में यह संभव नहीं हो सका।

*५१—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

लखनऊ जिले में गोमती की बाढ़ से क्षति

*५२—श्री सुखलाल (लखनऊ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिले में सितम्बर मास १९६५ में गोमती की बाढ़ से कितने ग्रामों को नुकसान पहुंचा और प्रत्येक गांव म कितने प्रतिशत खरीफ फसल का नुकसान हुआ ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

गोमती नदी की बाढ़ से सितम्बर, १९६५ में लखनऊ जिले के २० ग्रामों में खरीफ की फसल को अनुमानतः २८ से ३५ प्रतिशत तक की हानि हुई।

*५३—श्री राजेन्द्र सिंह तथा श्री मतोला सिंह—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

इण्टर कक्षाओं के विज्ञान अध्यापकों का वेतन

*५५—श्री विपिनबिहारी तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा विज्ञान के अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिये निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद भी अध्यापक इन्टर कक्षाओं को विज्ञान पढ़ाना प्रारम्भ कर देते हैं ? उनके लिये क्या वेतन-क्रम निर्धारित कर दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—

कन्डेंस्ड डिप्लोमा कोर्स पास विज्ञान अध्यापक इन्टर कक्षाओं को विज्ञान पढ़ाने के योग्य माने जाते हैं। उनके लिये रु० १७५–१०–२१५ द० रो०–१५–३५० का वेतन-क्रम निर्धारित कर दिया गया है।

*५६—श्री विपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार उक्त प्रश्न में उल्लिखित इन्टर कक्षाओं को पढ़ाने वाले प्राध्यापकों के लिये वही वेतन-क्रम देने की कृपा करेगी जो कि प्राध्यापकों को दिया जाता है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

उपर्युक्त अध्यापकों को प्राध्यापकों का ही वेतन-क्रम दे दिया गया है। यह उन अध्यापकों को दिया गया है जिन्होंने १९६४–६५ में अथवा उसके बाद डिप्लोमा कोर्स पास किया है और जो इन्टर कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाते हैं।

सुचेता कृपालानी मार्ग, मुबारकपुर

*५७—श्री रामसुन्दर पान्डेय—

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक ९ मार्च, १९६५, के पत्र की प्रतिलिपि उन्हें प्राप्त हुई है जिसमें मांग की गई है कि माननीया सुचेता कृपालानी मार्ग (मुबारकपुर) से जिला आजमगढ़ की दशा बहुत ही निन्दनीय है जिसके कारण सवारियां टूट जाती हैं और यात्री घायल हो जाते हैं? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री जगन प्रसाद रावत—

जी हां। इस सड़क का निर्माण स्वीकृत हो चुका है और जिला परिषद् द्वारा सड़क को हस्तान्तरित किये जाने पर उसका निर्माण-कार्य शुरू किया जायगा।

*५८—श्री सुखलाल (लखनऊ)—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५९–६०—श्री श्यामसुन्दर शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

छोईया नदी के पुल का पुनर्निर्माण

*६१—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् १९६४ में छोईया नदी (बिजनौर जिले) में बाढ़ आने से पुल टूट गया था? यदि हां, तो अब एक वर्ष से भी अधिक हो गया लेकिन पुनः निर्माण न कराने का क्या कारण है?

श्री जगन प्रसाद रावत—

जी हां। पुल के पुनः निर्माण के लिये २.५० लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी, परन्तु सर्वेक्षण के बाद पता लगा कि पुल तथा इसकी सड़कों के निर्माण की लागत ५.१० लाख रुपये होगी। बढ़ी हुई धनराशि का प्रबन्ध हो जाने के बाद निर्माण कार्य आरम्भ किया जायगा।

*६२—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६३—श्री सूरज लाल गुप्त वकील—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया]

इलाहाबाद में राजकीय कन्या विद्यालयों की मोटरें

*६४—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलावेंगे कि इलाहाबाद के राजकीय कन्या विद्यालयों में लड़कियों (छात्राओं) को ले जाने तथा लाने वाली मोटर सवारी कई सालों से बन्द हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

एक बस बैटरी न मिलने के कारण ३-११-६४ से बन्द हो गई थी; दूसरी बस ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर द्वारा अनुपयोगी कर दी जाने के कारण १ जनवरी, १९६५ से बन्द कर बेंच दी गई थी ।

*६५—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि छात्राओं (लड़कियों) को मोटर का प्रबन्ध बन्द होने से स्कूल के रास्ते में छात्राओं को छेड़छाड़ करने के गिरोह के डर से बहुत से संरक्षकों ने अपनी लड़कियों को कालेज में जाने से रोक रक्खा है ? यदि हां, तो सरकार राजकीय कालेज में शीघ्र से शीघ्र मोटर का प्रबन्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

ऐसी कोई सूचना शासन को नहीं है । पहली बस ९ जनवरी, १९६६ से पुनः चालू हो गई है । दूसरी बस प्रस्तुत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हो गई है ।

अतारांकित प्रश्न

रामपुर जिले में खेती तथा लगान की दर

१—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रामपुर में लगान के सर्किल रेट कम से कम क्या हैं और अधिक से अधिक क्या हैं और निकटवर्ती जिले बरेली और मुरादाबाद में कम से कम और अधिक से अधिक सर्किल रेट क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

(१) लगान का सर्किल रेट—

१—जिला रामपुर में कम से कम १ रु० तथा अधिक से अधिक १८ रु० ८१ पै० प्रति बीघा है ।

२—जिला बरेली में कम से कम ८७ पै० तथा अधिक से अधिक २५ रु० ६० पै० प्रति एकड़ है ।

३—जिला मुरादाबाद में कम से कम १ रु० तथा अधिक से अधिक ३४ रु० प्रति बीघा है ।

२—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर रियासत के प्रांत में विलीनीकरण के बाद से इस जिले में कोई बन्दोबस्त किया या नहीं और क्या इस जिले में किसानों से वही मालगुजारी वसूल की जाती है जो रियासत के समय में वसूली जाती थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

रामपुर रियासत के विलीनीकरण के बाद इस जिले में कोई बन्दोवस्त नहीं हुआ है । केवल उन जोतों को छोड़कर जिसकी देय मालगुजारी जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा २४६ के अन्तर्गत कम की जा चुकी है । शेष जोतों के संबंध में किसानों से वही धन मालगुजारी के रूप में वसूल किया जाता है जो रियासत के सम्बन्ध में वे लगान के रूप में देते थे ।

३---श्री भीखालाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिले का कुल क्षेत्रफल, जिसपर खेती की जाती है, कितना है और उससे कितनी सालाना मालगुजारी प्राप्त होती है और बरेली जिले का कुल क्षेत्रफल जिस पर खेती की जाती है कितना है और उससे कितनी सालाना मालगुजारी प्राप्त होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

(३) कृषि वर्ष १३७२ फसली में:---

१---रामपुर जिले में भूमिधरों तथा सीरदारों के खातों में सम्मिलित क्षेत्र फल ४८८७३४ एकड़ तथा उनके द्वारा देय मालगुजारी ४०८५१८४ रु० थी ।

२---बरेली जिले में भूमिधरों तथा सीरदारों के खातों में सम्मिलित क्षेत्रफल ८६०२८३ एकड़ तथा उनके द्वारा देय मालगुजारी ४३९६८२१ रु० थी ।

४---श्री भीखालाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सुहावा, तहसील शाहाबाद, जिला रामपुर, की ग्राम सभा ने १ जनवरी, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक खेती की जमीन के कितने पट्टे किसानों के नाम किये और उनमें से कितने पट्टों के दाखिल खारिज का आदेश परगनाधीश ने दे दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इस अवधि में एक भी पट्टे का दाखिल खारिज नहीं हुआ ।

गांव सभा के रिकार्ड खो जाने के कारण गांव सभा ने कितने पट्टे किये, यह ज्ञात नहीं है ।

फैजाबाद जिले में लेखपालों का स्थानान्तरण

५---श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको श्री मंगल देव, सदस्य, विधान सभा, द्वारा प्रेषित दो प्रार्थना-पत्र, दिनांक २७ अगस्त, १९६५ तथा २३ सितम्बर, १९६५ को प्राप्त हुए हैं, जिसमें तहसील अकबरपुर तथा तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद, के लेखपालों के स्थानान्तरण के विषय में पूछा गया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी हां । उनमें कही बातों के विषय में परीक्षण कर के माननीय सदस्य का उत्तर भेजा जा चुका है ।

देवरिया जिले में पुल निर्माण योजना

६---श्री उग्रसेन---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि पटेल कमीशन की सिफारिश के अन्तर्गत देवरिया जनपद में कौन-कौन से पुल बनेंगे, कितनी लागत के और कब तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पटेल कमीशन ने देवरिया जिले में निम्नलिखित पुलों के निर्माण की सिफारिश की है :—

पुल का नाम	लागत लाख रु०
१—छोटी गंडक नदी पर नदावर घाट पर पक्के पुल का निर्माण ..	१५.००
२—भागलपुर में घाघरा नदी पर पीपों के पुल का निर्माण ..	२०.००
३—भटनी के पास छोटी गंडक पर पीपों के पुल का निर्माण ..	४.००

अभी इन पुलों के आगणन तैयार किये जा रहे हैं। अभी यह बताना संभव नहीं है कि यह कब तक निर्माण हो जायेंगे।

७—श्री उग्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि अभी तक कितने पुलों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अभी तक किसी पुल का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में घटित घटना के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

यह वाराणसी यूनिवर्सिटी के संबंध में जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है तथा वहां जो घटना हुई है उस पर, मुख्य मंत्री जी आपको क्या कहना है ? इसमें विशेष बात यह है कि माननीय नेता विरोधी दल ने यह आग्रह किया है कि जुडिशियल जांच होनी चाहिये। आपको क्या कहना है ?

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मुझे यह कहना है कि जो भी वाकया हुआ है वह बहुत ही दुखद है और गम्भीर है तथा दोनों तरफ से एक्सेसेज हुई हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

काशीनाथ जी, आप बैठ जाइये, पहले उनको सुन लीजिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जितनी खबर इस वक्त तक टेलीफोन पर हमको मिली है वह मैं आपको बताती हुं, मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहती। लिखित रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, टेलीफोन पर ही बातें हुई हैं। मैंने यूनिवर्सिटी अथारीटीज से भी बात की है और वहां के अधिकारियों से भी बात हुई है। हम भी इसी काम में लगे हुए हैं कि किसी तरह इस मामले को सुलझाया जाय। जितना मुझे मालूम हुआ है वह मैं बता रही हूं, सब्जेक्ट टु करेक्शन। मैंने टेलीफोन पर वाइस चांसलर से बातें कीं। जो मालूम हुआ वह यह है कि पुलिस का एक ट्रक या घिहिकिल जा रहा था, उसी समय एक रिक्शा और एक साइकिल सामने उसके आ गयी और यह उससे लड़ गयी जिसमें एक लड़का इंजर हुआ। वह गाड़ी वापस चली गयी, ड्राइवर उसका गिरफ्तार हो गया। इसके थोड़ी देर बाद पुलिस का एक आफिसर कुछ

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस लेकर वहां इंटर हुआ क्योंकि उसको वहां इन्तजाम के सिलसिले में पहुंचना था, प्रेसीडेंट के विजिट के सिलसिले में। यह जो आफिसर अपनी गाड़ी लेकर वहां गये, इनको इससे पहले की घटना की कोई जानकारी नहीं थी। उनके पास कोई हथियार आदि भी नहीं थे। वहां उनको रोका गया और मारा गया और उनकी गाड़ी जला दी गयी। पुलिस वाले इधर उधर भागे और कुछ गड़बड़ी हुई। मैं समझती हूं यह स्टूडेंट्स की तरफ से ज्यादती हुई। पुलिस वालों का यह प्ली है कि उनके ४ आदमी गायब कर दिये गये। उनको ढूंढने के लिये बाद को पुलिस गयी। जब वह गयी तो यूनिवर्सिटी के गेट बन्द थे। जब पुलिस अन्दर गयी तो काफी हल्ला-गुल्ला हुआ और मारपीट भी हुई। पुलिस यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में गयीं, जो उन्हें नहीं जाना चाहिये था और उनका कहना यह है कि वे अपने चारों आदमियों को ढूंढ़ने के लिये गये थे। (व्यवधान) वाइस-चांसलर ने कहा भी है कि इसकी जांच होना चाहिये। दिल्ली से भी मेरे पास टेलीफोन आया है। सारे फैक्ट्स मालूम होने पर ही यह निर्णय लिया जायेगा कि किस प्रकार की इंक्वायरी हो, क्योंकि हमारे पास डिटेल नहीं है। लोगों को पेसीफाई करने के लिये स्टूडेन्ट्स का एजीटेशन कम हो, मैंने फौरन उसी वक्त रात को इंक्वायरी एस्टेब्लिश की है। इसकी इन्क्वायरी जुडिशियल मेम्बर आव् दि रेवन्यू बोर्ड करेंगे और वह लीगल इन्क्वायरी होगी। यह आर्डर दे दिया गया है। मैंने वाइस-चांसलर को फोन भी कर दिया है कि मैंने ऐसा आर्डर कर दिया है। आप पेसीफाई करने की कोशिश करें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, माननीया मुख्य मंत्री ने जो यह बयान किया यह उस आधार पर दिया है कि जो अब तक मुझे कारण नहीं दिखाई देता कि विश्वास करूं। आपसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बातचीत हुई उसके आधार पर....

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन कर दूं। आपने कहा कि "आपसे" जो बातचीत हुई है, उसमें कान्फ्यूजन हो जायेगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मेरे कहने का मतलब यह है कि मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है। मुख्य मंत्री की यह सूचना आधारित है उस टैलीफोनिक टाक पर जो मुख्य मंत्री से और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हुई। और जैसा आप कहते हैं कि वाइस-चांसलर से हुई, वह चीज हमारे पास नहीं है। आज, श्रीमन्, इस सदन के सामने जितना महत्वपूर्ण प्रश्न आया है वह पहले नहीं आया होगा। मुख्य मंत्री ने बयान दिया और दूसरा वाइस-चांसलर का अखबार में छपा हुआ है। एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, इतना रिनाउन्ड् जज है, इतने दिन के बाद वाइस-चांसलर हुआ। और एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। आज यह बात छिपी हुई नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिप्टी कलैक्टर और पुलिस इनको हम दो नहीं समझते। उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। जैसा कल के उदाहरण में डा० साहब, डी०वाई० एस०पी० की शहादत में चले गये। ऐसा मिनिस्ट्री में स्टेटमेंट मिला और दूसरा स्टेटमेंट वाइस-चांसलर से मिला।

श्री अध्यक्ष—

आपने आग्रह किया है कि....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं आ रहा हूं उस विषय पर, मैं जस्टिफिकेशन कर रहा हूं। आपने यह कह दिया कि बोर्ड आव रेवेन्यू का मेम्बर मैंने मुकर्रर कर दिया। मैं, श्रीमन्, उससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैंने कदापि इस पर सरैन्डर नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज का वर्जन टु बी इन्क्वायर्ड

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

इन्टू बाई आफिसर आव दि बोर्ड। श्रीमन्, मैं जानता हूं कि मुझे एक सीमा के अन्दर रहना चाहिये। बहुत ही सौम्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिये। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि सीधे से नहीं बोल सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप तो बड़े नम्र स्वभाव के हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

ऐसा नहीं करते हैं तो वक्त पर हम धोखा खा जाते हैं। वह जब एडजर्नमेंट मोशन होगा तब जो समझ में अच्छा आयेगा वह कहूंगा। लेकिन आज हम कहते हैं कि मुख्य मंत्री ने न्याय नहीं किया। हमारे विचारों के साथ न्याय नहीं किया और न पब्लिक के साथ और न यूनिवर्सिटी के साथ।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते क्या हैं?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट के जज द्वारा उसकी इन्क्वायरी कराई जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, एक बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मुश्किल यह होती है कि आपको अपने विरोधी दल के नेता के प्रति आदर नहीं है। वे खड़े हुए हैं और आप बोल रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

घटना के विषय में एक बयान मुख्य मंत्री से आया। दूसरा बयान अखबार में छपा और ट्रंक पर बताया गया। वह मैं बतला रहा हूं...

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं। इस वक्त प्रश्न यह है कि माननीय नेता विरोधी दल कहते हैं कि हम न्यायिक जांच किसी हाई कोर्ट के जज द्वारा चाहते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

घटना का एक रूप सदन के सामने आया है, दूसरा रूप नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

वह कहने का मौका मिलेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

हम लोग माननीय मंत्री के बयान को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बनारस का बयान मानते हैं। जब एक तरफ से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनारस की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दी गयी तो दूसरे पक्ष को अवश्य सुन लेना चाहिये। वरना अखबारों में एक-पक्षीय प्रचार हो जायगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, जब से लेजिस्लेचर और जुडिशरी का झगड़ा हुआ है, तब से मेरा विश्वास जुडिशरी पर नहीं रहा है। गोरखपुर फायरिंग पर आपने उसकी रिपोर्ट देख ली है।

इसलिये हाउस की एक कमेटी बनाई जाय या स्वयं हवाई जहाज से मुख्य मंत्री वहां जावें और वाकयात मालूम करें। सदन की कमेटी में विरोधी दलों के नेता हों और जिन्हें मुख्य मंत्री चाहें वे हों।

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

एडजर्नमेंट मोशन डिसकस करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तक हमको पूरी खबर नहीं मिले तब तक हम पूरा और ठीक उत्तर नहीं दे सकते। हम लोग भी विचलित हैं। आप अगर १ बजे तक रात में बैठे तो हम २ बजे तक बैठे और कोशिश की कि कैसे मामला सुलझे। हमने पहले भगवती जी से बात किया। उनसे डिटेल्ड डिसकशन किया। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। इस वक्त फैक्चुअल इनफरमेशन हमारे पास पूरी नहीं है। उद्देश्य सबका यही तो है कि हमारे स्टूडेन्ट्स शांति से पढ़ें, उनके मन में क्षोभ है तो वह न रहे। अगर किसी तरफ से गलती हुई है तो हम लोग बैठकर बात करके कोई उपाय निकाल सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमारी भी वहां के विद्यार्थियों से रात को टेलीफोन पर बात हुई। पुलिस के ट्रक से लड़का कुचलकर मर गया। उसके बाद कुछ लड़के ट्रक को घेरने की कोशिश किये। जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि दूसरा वान आ रहा था जिसमें पुलिस थी और उन्हें खबर नहीं थी, यह सच नहीं है। पुलिस वाले उससे अपनी जान बचाने के लिये उसे छोड़ कर भाग गये। कोई पुलिसवाला खुद उसमें आग लगा दिया और जब यह खबर पास वाली पुलिस चौकी पर मिली तो वहां के तमाम पुलिस वाले, बगैर किसी आदेश के, मैजिस्ट्रेट के या पुलिस कप्तान के या डी०एम० के, यह खबर पाकर कि पुलिस के आदमी यूनिवर्सिटी में घिरे हैं, वे चौकी छोड़ कर बेतहाशा दौड़े और चारदीवारी और गेट तोड़कर अन्दर घुसे। अंग्रेजी राज्य में भी ऐसा कभी नहीं हुआ और जनतंत्र में अपने किस्म की सबसे बड़ी घटना है। पुलिस वालों ने यूनिवर्सिटी में घुसकर लड़कों का सामान तोड़ा और उसे लूट ले गये। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि यदि सही मानी में वह इस प्रदेश में शांति स्थापित करना चाहती हैं और कानून का राज्य चाहती हैं तो यह खबर पाते ही पहले उनको उस पुलिस चौकी के सारे पुलिसवालों को मुअत्तल करने के आदेश जारी कर देना चाहिये। जब तक संबंधित अधिकारी वहां रहेगा व जब तक हरगोविन्दसिंह होम मिनिस्टर रहेंगे, तब तक ठीक इनक्वायरी नहीं हो सकती है और इस प्रकार की गुंडई होती रहेगी।

श्री अध्यक्ष—

आप नियमों को भंग न कीजिये। आपने सूचना दे दी और सरकार क्या करे, यह दूसरी बात है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मुख्य मन्त्री शायद आवेश में कह गयीं, मेरा मतलब कतई यह नहीं था कि वह झूठ बोल रही हैं। जैसा माधवप्रसाद त्रिपाठी ने कहा गया, क्या वह एक हाई कोर्ट जज से तहकीकात कराने के लिये तैयार हैं? एक वर्शन हमारे पास भी है, जो लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ता हूं, "The University is convinced of the excesses committed by police and would do everything possible to see that the wrong-doers are brought to book." तो इसकी इन्क्वायरी हाई कोर्ट के जज द्वारा हो। होम मिनिस्टर के बारे में अभी हमारी प्रार्थना बाकी है, यद्यपि हम जानते हैं कि वह मानी नहीं जायगी। भगवती जी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। काशीनाथ जी ने ठीक कहा कि अगर अफसर कन्सर्न्ड उस जगह पर रहता है तो इंक्वायरी ठीक नहीं हो सकती है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आप सदन को स्थगित कर दें और नेता सदन और कांग्रेस के कुछ लोग विरोध के नेताओं को साथ बिठा कर इस पर सोचे। माननीय हरगोविन्द सिंह के होम मिनिस्टर रहते यह पुलिस को गुन्डागर्दी चलती रहेगी। [******] आप सदन को स्थगित करें वरना अपोजीशन की गैर-हाजिरी में साल भर काम चले। अगर, मुख्य मन्त्री जी, आपकी कैबीनेट में हरगोविन्द सिंह जी होम मिनिस्टर रहते हैं, तो आप अपोजीशन को हटा दें। क्या मजाक है कि १३३ विधायकों ने लिख कर दिया कि गृह मंत्री हटाया जाय। आप जैसे ईमानदार मुख्य मंत्री के लिये यह शोभा नहीं देता कि ऐसे [**] आदमी से आप इस्तीफा नहीं मांगती हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि नियमों के अनुसार आपके समक्ष एक कामरोको प्रस्ताव दिया हुआ है। उसको नियमानुसार लेकर उस पर कार्यवाही करने में आप देर क्यों कर रहे हैं?

[* * * * * *]

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

अभी जनवरी के महीने में ही शायद २३–२४ तारीख को पुलिस ने २–३ यूनिवर्सिटी के लड़कों को बाजार में से पकड़ कर थाने में बंद कर के काफी पीट दिया। जब लड़कों को पता चला तो यूनिवर्सिटी के बहुत से लड़कों ने थाने को घेर लिया। तब वाइस चांसलर को बीच में आना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को भी आना पड़ा। तभी से वहां की पुलिस विद्यार्थियों के साथ कटुता का भाव और व्यवहार बरत रही है। कल फिर यह अप्रिय घटना हो गयी। यदि इसे गम्भीरता के साथ और संतोषजनक रूप से न सुलझाया गया तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री को एक सूचना देना चाहता हूं कि वहां लड़कियां सामने हाल से डिग्रियां ले रही थीं वहां पुलिस गयी, उन को मारा और सुन्दरलाल अस्पताल में जाकर डाक्टरों को मारा, जाते हुए प्रोफेसर को मारा। इस तरह घुस-घुस कर पीटा गया। यह सही है कि जब तक माननीय गृह मंत्री, हरगोविन्द सिंह, को नहीं हटाया जायगा तब तक सुचेता कृपालानी जी इस पुलिस की गुन्डागर्दी को रोक नहीं सकतीं। अगर इसको नहीं रोका गया तो दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी ऐसी ही घटनायें होंगी।

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—

मुझे माननीय सदस्य से सिर्फ यह अपील करनी है कि हम जो यहां बैठे हुए हैं, एक कांस्टीट्यूशन, कुछ रूल्स के तहत बैठे हुए हैं और उनके मुताबिक ही कार्यवाही करते हैं। गवर्नमेन्ट को डिफीट करने का भी तरीका उसमें दिया हुआ है। बहस करके किसी बात को तय करने का तरीका भी दिया हुआ है।

श्री उग्रसेन—

संविधान की हत्या तो सरकारी मंत्री करते हैं, विरोधी पक्ष के लोग तो उसका आदर करते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। जब आपने माननीय नेता विरोधी दल को और माननीय सदस्यों को सुन लिया, अब आप केवल मुख्य मंत्री से पूछ लीजिये।

[******] माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हटा दिए गए।

श्री अध्यक्ष—

मैं पूछ लूंगा। अभी मैंने माननीय न्याय मंत्री को बुला लिया है, उनको आप सुन लें।

श्री सैयद अली जहीर—

मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि अभी तक जो इन्क्वायरी कराने की बात है उस में कोई नाम नहीं आया है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के किस जूडीशियल मेम्बर को हम नामजद करना चाहते हैं। लेकिन यहां यह इसरार हो रहा है कि हाई कोर्ट का जज इन्क्वायरी करें। माननीय सदस्य जानते हैं कि हाई कोर्ट के जज की इस काम के लिये तकर्ररी बगैर हाई कोर्ट से पूछे नहीं की जा सकती, उसमें वक्त लगेगा.....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

सुप्रीम कोर्ट का जज वाइस-चांसलर है। उसने अपना बयान दिया है और यहां बिल्कुल विपरीत कहा जा रहा है। यह कितना हास्यास्पद है, हम इसको बरदाश्त नहीं कर सकते.....

श्री सैयद अली जहीर—

अगर इस बहस के माने यह हैं कि जो मंजर इस वक्त यहां हम देख रहे हैं कि लोग खड़े होकर जो चाहे चीखने लगते हैं और वाकयात को अपनी तरफ से बयान करने लगते हैं और चिल्लाते हैं तो अगर इधर से भी यही हालत हो तो कैसे सदन का काम चल सकेगा, इधर से भी लोग खड़े होंगे और अपना वर्जन बतायेंगे.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप शांति रखें, बहस सिर्फ इतनी है कि.....

श्री मैनेजर सिंह—

यदि कानून मन्त्री जी चाहते हैं कि.....(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

कांग्रेस के सदस्य जानते हैं.....

श्री मैनेजर सिंह—

यह कानून मन्त्री चालाक दुश्मन हैं, यह चाहते हैं कि.....

(व्यवधान)

यह अलीगढ़ जायं, यह चालाक दुश्मन है.....

श्री अध्यक्ष—

वह समाप्त कर लें, फिर आप बोलें। अभी आप बैठ जायं।

श्री मैनेजर सिंह—

वह यहां इंगित कर रहे हैं कि उधर के लोग भी बयान के लिये खड़े होंगे, वह सदन मारपीट चाहते हैं, यह आपके चालाक दुश्मन हैं, इनको पहचानिये.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप जरा बैठ तो जाइये, उनको सुन लें पहले, उनको मैंने बुला लिया है।

श्री मैनेजर सिंह—

यह आप की और पूरे प्रदेश को उलट रहे हैं। यह दुश्मन हैं....

श्री सैयद अली जहीर—

मुझे यह कहना है कि यह निहायत अफसोसनाक.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप सुन लें, शांति रखें।

श्री मैनेजर सिंह—

आप इनको अलीगढ़ भेजिये, इनको न बुलवाइये।

श्री राधश्याम शर्मा—

मैं यह कहना चाहता हूं कि..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वह समाप्त कर लें.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

उन्हें कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बुलवाइये.....

श्री सैयद अली जहीर—

हमें इस मामले में गुस्से में कोई विचार नहीं करना चाहिये और इस वक्त जो भी विचार होगा उसमें एक वर्जन इधर से आयेगा और दूसरा उधर से आयगा। लेकिन जब तक पूरी इन्क्वायरी के बाद सही इत्तिला सरकार के पास न आ जाय उस वक्त तक हम भी उस पोजीशन में नहीं हैं कि ज्यादा बता सकें। इसमें शक नहीं है कि यह बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है। सिर्फ इस वक्त चीज जो जेरे गौर है वह यह है कि किस तरह की इन्क्वायरी हो, हाई कोर्ट के जज के जरिये से हो या जैसा हमने सोचा है वैसी हो.....

श्री उग्रसेन—

पहले यह कामरोको प्रस्ताव लिया जाय और उस पर विचार हो.....

श्री सैयद अली जहीर—

मुझे सिर्फ यही अर्ज करना है कि हमें सिर्फ यह तय करना है कि जांच किस के जरिये से हो और उसके लिये माननीया मुख्य मन्त्री ने कह दिया है कि वे अपोजीशन के लीडर से भी मश्विरा करने के लिये तैयार हैं। अभी तक सरकार ने कोई डेफिनिट आर्डर पास नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपका कहना यह है कि माननीया मुख्य मन्त्री विरोधी दलों के नेताओं से परामर्श करके इन्क्वायरी करायेंगी?

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, आप काम रोको प्रस्ताव पर बहस तो कराइये?

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी, आप कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री उग्रसेन—

जो माननीय न्याय मंत्री जी कह रहे हैं उससे न्याय नहीं मिलने वाला है। न्याय तभी मिल सकता है जब मौजूदा सरकार इस्तीफ़ा दे। एक रेल दुर्घटना के हो जाने से हमारे रेल मन्त्री, माननीय लाल बहादुर शास्त्री, जी ने इस्तीफा दे दिया था। ये इस्तीफा क्यों नहीं देते?

श्री अध्यक्ष—

कामरोको प्रस्तावों में बहुत थोड़ा सा मतभेद है। माननीय नेकराम शर्मा जी का यह कहना है कि एक नान-आफिशियल कमेटी इस सम्बन्ध में नियुक्त हो, दूसरा सुझाव यह है कि इसकी इन्क्वायरी के लिए हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जाय और तीसरा यह है कि माननीय नेता विरोधी दल और माननीय मुख्य मन्त्री जी बैठ कर इस सम्बन्ध में परामर्श कर लें और यदि वे किसी नतीजे पर पहुंच सकें तो इस प्रश्न पर हम बहस करेंगे। अब इसके ऊपर आप लोग परामर्श कर लें। उसके बाद यदि आप की आज्ञा हो तो कल मैं इसे ले लूं?

अनेक सदस्य—

नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप तय नहीं करते हैं तो आज ४ बजे माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी का प्रस्ताव ले लिया जाय कि इसमें जुडिशियल इन्क्वायरी हो?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुःख हुआ कि ऐसे जिम्मेदारी की पोजिशन पर रहते हुए माननीय मन्त्री जी ने भी यह कह दिया कि जैसा उधर से कहा गया है, वैसा इधर के लोग भी कह सकते हैं। श्रीमन्, इधर के लोगों को तो दुःख है परन्तु उधर के लोग आत्म रक्षा में लगे हुए हैं। जो यह समझते हैं कि संविधान की रक्षा हम करते हैं, उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलें तो यह बहुत ही अन्याय की बात मालूम होती है। हमने जो एडजर्नमेन्ट मोशन आपके सामने रखा है....

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, आप कृपया माननीया मुख्य मंत्री जी से पूछ लीजिए कि उन्हें क्या कहना है और क्या वे माननीय हरगोविन्द सिंह जी को निकालेंगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी, यदि आप नियमों को देख लें तो आप को मालूम हो जायगा कि कामरोको प्रस्ताव पर आप इस किस्म की बातें नहीं ले सकते हैं।

श्री लालबहादुर सिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं उस कान्सटीट्युएन्सी को बिलोंग करता हूं और मुझे अपनी बात कहने दीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय पांडेय जी, आप कृपया बैठें।

श्री लालबहादुर सिंह—

श्रीमन्, यह मेरी कान्सटीट्युएन्सी का मामला है। मुझे बोलने का मौका होना चाहिये। मुझे ही सारी बातों को भुगतना पड़ेगा, पर आप मुझे मौका नहीं देते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, सारी चीज को शांत करने के लिए मेरी एक प्रार्थना है कि माननीया मुख्य मन्त्री हमसे परामर्श ले लें और उन्हें इस बारे में तुरन्त घोषित कर देना चाहिए कि वह इससे सहमत हैं। आपसे यह भी प्रार्थना है कि आप थोड़ी देर के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें?

श्री अध्यक्ष—

आप इसी समय बातचीत कर लीजिये।

आधे घंटे के लिये सदन स्थगित होता है।

(इस समय ११ बज कर ५० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १२ बजकर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय नेता सदन विरोधी पक्ष के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा होगा एक घंटे के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

अच्छा होगा जो और कार्यक्रम एजेन्डे पर है वह ले लिया जाय।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

यह नहीं हो सकता। जब तक वार्तालाप खत्म नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बारे में निवेदन कर दूं कि अगर आपस में बातचीत तय न हो पाये तो सांयकाल ४ बजे से हम इसको लें।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

नेता लोग जब तक आ कर बता न दें कि क्या तय हुआ तब तक कोई कार्य नहीं होना चाहिये।

श्री उग्रसेन—

एक घंटे के लिये अगर सदन स्थगित कर दिया जाय तो इसमें आपत्ति क्या है?

श्री अध्यक्ष—

मेरा निवेदन यह है कि नियम ५२ के जो प्रश्न थे.....

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

आपकी आज्ञा से सदन के नेता तथा विरोधी दल आपस में परामर्श कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही जारी करना उचित नहीं होगा क्योंकि वे सदन की कार्यवाही में भाग लेना चाहेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रसाद (जिला वाराणसी)—

सदन का कोई काम नहीं हो सकता जब तक वार्तालाप समाप्त न हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से धमकी नहीं दी जायगी। आप बैठिये।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में एक ही बात कहनी थी। मान लीजिये कि एडजर्नमेंट मोशन मान लिया होता तो नियमों के अन्तर्गत ४ बजे से उस पर बहस होती। अब यह मांग हो कि हाउस में काम न हो तो यह आप तय कीजिये। यह परम्परा डालने की बात है और जैसा मुनासिब हो करिये।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

माननीय नवल किशोर जी ने जो बात कही उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि हाउस जो आध घंटे के लिये एडजर्न किया गया वह इसलिये किया गया कि अभी इस पर बहस होगी और उसी के लिये प्रश्नों को भी समाप्त कराया गया। तो यह ४ बजे होगा या ५ बजे होगा। जब तक नेता लोग लौट कर नहीं आते हैं तब तक तय नहीं हो सकता कि क्या होगा।

श्री मैनेजर सिंह---

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि आपने सदन को बातचीत करने के लिये ही स्थगित किया था और वहां पर नेता लोग बात कर रहे हैं; तो आप इस समय सदन को स्थगित कर दें। जब बात तय हो जायेगी तो सदन शान्तिपूर्वक चलेगा।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

श्रीमन्, आपने एक बार व्यवस्था दे दी है कि अगर सदन में ऐसी अव्यवस्था होगी तो सदन के माननीय नेतागण आपस में बातचीत करेंगे। आशा थी कि आध घंटे में बात तय हो जायेगी लेकिन वह काम नहीं हो सका। इसलिये सदन को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

मुझे खुशी होती अगर सदन अपना कार्य चलाता और नेता लोग वहां बातचीत करते और तय करते। इससे यह होता कि सदन का काम भी होता और जो विषय विचाराधीन है उस पर भी विचार हो जाता। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि हम लोग इस पर विचार कर लें।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने सदन को आध घंटे के लिये स्थगित किया था उसी तरह से आध घंटे के लिये और स्थगित कर दें। आध घंटे में शायद कुछ निर्णय हो जाय और काम कायदे से चले, नहीं तो आप काम शुरू करेंगे और हम लोग उसे चलने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष---

ऐसी बात न कहिये।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

जी नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि वहां पर जो बात हो रही है वह दूसरे रूप में परिवर्तित हो जायेगी।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, आपके ही सुझाव पर सदन स्थगित हुआ था। इसलिये एक घंटे के लिये और सदन को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

एक बजे तक सदन स्थगित किया जाता है।

(इस समय १२ बज कर २६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १ बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीया मुख्य मंत्राणी दिखायी नहीं देती हैं सामने। उन्होंने क्या निर्णय लिया, वह कह देतीं तो आगे बढ़ा जाता।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो इसलिए समय दिया था कि आप लोग तय कर सकें, किस प्रकार से जांच हो आप बता दीजिये सामूहिक रूप से, अगर नहीं बताया जाता.....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

उत्तरदायित्व उनका था कि वह मौजूद रहें।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप लोगों का मत नहीं है तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव चार बजे लिया जायगा और इस नियम के अन्तर्गत, मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं, नियम ६० का परन्तुक इस प्रकार है—"परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे जो जांच की प्रक्रिया या विषय का प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि इससे न्यायाधिकरण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।" आदरणीय सदस्यों से केवल इतना निवेदन है कि ऐसी बातें न कहें जिसके द्वारा जांच में किसी प्रकार का प्रभाव पड़े।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

विरोधी दल के नेताओं ने माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन किया कि हम लोगों की तीन मांगें हैं, उन्हें आप स्वीकार करें। पहली मांग है कि इस काण्ड की जांच किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुपुर्द करें।

श्री अध्यक्ष—

यह चार बजे कह लीजियेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह तय किया गया कि आप लोग बात कर के निर्णय लें। हम लोगों ने अपनी बात सुना दिया। उनकी ओर से कोई मत आ जाय तब कार्यवाही चलाइये।

श्री अध्यक्ष—

अगर चार बजे के पहले उनकी बात आ जायगी.....

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने एक गम्भीर विषय के ऊपर यह आवश्यक समझ कर कि सब लोग परामर्श करें, सदन को आध घंटे के लिए स्थगित किया और उसके बाद जब सदन फिर मिला तो आपने फिर आध घंटे के लिए सदन स्थगित किया। वह अवसर आपने इसलिए दिया कि नेता सदन विचार विमर्श कर के आप को बता सकें कि किस नतीजे पर पहुंचें ताकि मामले का हल निकल सके। मुझे अफसोस है कि नेता सदन का कार्य था कि सदन में मौजूद होतीं ; क्या बात हुई आ कर बतातीं। वह नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि चार बजे कार्य-स्थगन प्रस्ताव लिया जायगा। यह बहुत गम्भीर बात है। अगर आपने एक घंटे के लिए सदन स्थगित किया और आपने जिम्मेदारी मुख्य मंत्री को दिया था, उसके बाद उनको सदन को रिपोर्ट करना चाहिये। यह उनका व्यवहार नान-सीरियस चीज है और इतने गम्भीर विषय पर माननीय

पांडेय जी कर रहे हैं कि हम लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री के सामने अपने तीन प्रस्ताव रखे कि पहला घटना की जुडीशियल इन्क्वायरी कराई जाए, दूसरे गृह मंत्री को हटाया जाय और तीसर पुलिस के स्थानीय कर्मचारियों को सस्पेन्ड किया जाए, जिससे इन्क्वायरी ठीक से हो सके। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि आप हाउस को तब तक न चलायें जब तक कि इन मांगों पर माननीय मुख्य मंत्री जी अपना कोई निर्णय न दे दें। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सदन इसलिये स्थगित किया था कि सभी मिलकर किसी एक निश्चय पर पहुंच जाएं और अगर एक सर्वसम्मति से निश्चित हो जायगा तो फिर कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विचार नहीं होगा। किन्तु इस समय जब हमारे पास निश्चित रूप से सबका निश्चय नहीं आया तो मैं समझता हूं कि वह सहमति नहीं हो सकी है। इसलिये मैं फिर ४ बजे कामरोको प्रस्ताव को लेने की बात कहता हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मुख्य मंत्री वहां थीं। उनका कर्त्तव्य था कि उन्होंने वहां पर अपनी जो राय बनाई थी हमारी बात सुनने के बाद उसको या यदि उन्होंने अपनी कोई राय अपने वरिष्ठ मंत्रियों से विचार करने के उपरान्त बनाई होती, उसे यहां पर आकर हम लोगों के सामने कह देतीं, किन्तु मैं देखता हूं कि वह यहां पर उपस्थिति नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि वह हमारी किसी बात से सहमत नहीं हो रही हैं, वह हाउस को फेस करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मंत्री जी हमारी बात मानने को तैयार नहीं हैं। यदि हमारी जूडिशियल इन्क्वायरी वाली बात भी नहीं मानी जाती है, तो मैं भी विवश हूं और मैं आप से बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी अवस्था में, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस हाउस का काम नहीं चल सकेगा, आप जो भी उचित समझें करें, इसका आपको अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन कर दूं कि यह उचित नहीं है कि सदन को बन्द कर दिया जाए। इसलिये जो माननीय सदस्य हाउस के कार्य में बाधा डालेंगे, उनके विरुद्ध भुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

एक बात तय हुई, उससे मुकरा जा रहा है, यह उचित नहीं है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

(मुख्य मंत्री के सदन में आने पर) अब माननीय मुख्य मंत्री जी हाउस में आ गयी हैं। अब आप उनसे पूछें कि उन्होंने हम लोगों की मांग पर क्या निर्णय लिया है, जो हम लोगों की उनसे अभी बात हुई थी उसको उन्होंने कहां तक माना है। उन्होंने अपने वरिष्ठ मंत्रियों से बात अवश्य कर ली होगी, तभी हाउस का आगे का काम आप चलाएं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इन लोगों को डिमाण्ड क्या थी, यह मेरी समझ में आ जाए, तो मैं कुछ कहूं। सबेरे तो दूसरी डिमांडें थीं, इस समय और कुछ कहा जा रहा है।

अनेक सदस्य--

इतनी देर बात क्या हुई, इन्हें यही पता नहीं है कि डिमान्ड क्या है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुझे दुःख है कि इनको पता नहीं कि हम लोगों की डिमाण्ड क्या है । तो फिर से सुन लीजिए, प्रथम तो यह कि किसी हाई कोर्ट के जज द्वारा इन वाकयात की जांच कराई जाए, दूसरी बात यह कि यह जो होम का विभाग है यह किसी दूसरे मंत्री को दिया जाए और तीसरी बात यह है कि जो स्थानीय अधिकारी हैं, वे सस्पेन्ड किये जाएं, जिससे निष्पक्ष जांच हो सके, उनको मुअत्तल किया जाए, उनको हटाया जाए । यह हमारी तीन मांगें थीं । हमें तो मालूम ऐसा पड़ता है कि आपने इनमें से किसी को भी नहीं माना है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मुख्य मंत्री जी को सुन लिया जाए । अभी हम यह कैसे मान लें कि किसी बात को नहीं माना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैंने तो नहीं समझा था कि यह तीन सीरियस मांगे हैं । मैंने तो यही समझा था कि पहली मांग सीरियस है और इसलिये इस पर हमने न्याय विभाग से डिस्कस किया और इसीलिये मुझे यहां आने में देर हुई । लेकिन यदि यही तीन मांगें हैं तो मैं उन्हें मंजूर नहीं कर सकती ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

पहले के बारे में क्या है, जो आप सीरियस समझती हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उसके बारे में में अभी ला डिपार्टमेंट से राय ले रही हूं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इसका मतलब यह है कि हमारी किसी भी मांग को इन्होंने नहीं माना । इसलिये हमारे सामने भी कोई मार्ग अन्यथा नहीं है । मैं भी मजबूर हूं कि सदन में बैठूं, अब आप जो उचित समझें करें ।

(सभी विरोधी दलों के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

हम तो और कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना मैं बतला दूं कि सदन की कार्यवाही हम नहीं चलने देंगे, आप जो कुछ चाहें करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सदन का काम चलना चाहिये और चलेगा । यह गलत है कि सदन के कार्य में इस प्रकार से बाधा डाली जाय । जो आपको नियमों के अन्तर्गत अधिकार हैं उन नियमों के अनुकूल अगर आप कोई कार्यवाही करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन जिस तरह आप यह तरीका बरत रहे हैं, वह नियमों के विरुद्ध है और मुझे दुख है कि इसके खिलाफ मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

(व्यवधान)

माननीय नेता विरोधी दल से मेरा निवेदन है कि आप बैठ जांय । अगर आप नहीं बैठते हैं तो कृपया सदन छोड़ें ।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जनता ने हमें यहां चुन कर भेजा है, इसलिये हम लोग सदन छोड़ने में मजबूरी हैं ।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा स्थान न ग्रहण करने पर)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, आदरणीय नेता विरोधी दल को सदन से बाहर जाने में सहायता दें।

(मार्शल की प्रार्थना पर श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी सदन से बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी, आप कृपया बैठें या सदन छोड़ें।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, आप याद रखें कि एक दिन माननीय गृह मंत्री आपको भी सदन छोड़वा देंगे।

(श्री टम्बेश्वर प्रसाद सदन त्याग कर बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्रीपाल सिंह जी, आप कृपया बैठें या सदन छोड़ें।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

श्रीमन्, जिस तरह से माननीय गृह मंत्री का पोषण माननीया मुख्य मंत्री कर रही हैं और पुलिस का पृष्ठ पोषण माननीय गृह मंत्री कर रहे हैं इससे विरोधी दल का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन प्रदेश की जनता जरूर एक दिन इसका बदला लेगी, यह मैं आपसे कह देता हूं।

(मार्शल की प्रार्थना पर कुंवर श्रीपालसिंह सदन त्याग कर बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय अवधेश कुमार सिनहा, माननीय रामसुन्दर पांडेय, आप लोग, कृपया सदन छोड़ें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मेरे लिये दिक्कत है कि किसके हुकुम से मैं सदन छोड़ूं।

श्री अध्यक्ष—

मेरा आपसे आग्रह है कि कृपा करके आप सदन छोड़ें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप कृपा करके इस सदन को बर्खास्त कर दें। जिस होम मिनिस्टर की छत्रछाया में प्रदेश की माताओं और बहनों का अपमान हो रहा हो, हिन्दू विश्वविद्यालय में लड़कियों पर पुलिस द्वारा प्रहार हुआ है और फिर भी माननीया सुचेता जी का हृदय द्रवित न हो रहा हो, तो फिर मैं क्या कहूं ? आज माननीय गृह मंत्री के राज्य में प्रदेश की हजारों माताओं व बहनों की बेइज्जती हो रही है, इसलिय मैं चाहता हूं कि अगर माननीया मुख्य मंत्री चाहती हैं कि प्रदेश में शांति व अमन रहे तो कृपा करके माननीय गृह मंत्री को उनके पद से हटा दें।....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके सदन छोड़ें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं असेम्बली में जनता की खिदमत करने के लिये भेजा गया हूं, उसकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिये भेंजा गया हूं और आप कहते हैं कि हम सब लोग सदन छोड़ कर चलें जांय ?

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

किसी दूसरे मंत्री को इनका विभाग दे दीजिये जिससे लोगों की जान और माल की रक्षा हो यह मेरी आपसे और सरकार से प्रार्थना है।

(मार्शल की प्रार्थना पर श्री रामसुन्दर पांडेय सदन से बाहर चले गये। श्रीअवधेश कुमार सिन्हा अभी भी अपने स्थान पर खड़े रहे।

इसके उपरान्त श्री अध्यक्ष ने क्रमशः निम्नलिखित खड़े हुए सदस्यों को स्थान ग्रहण करने अथवा सदन से बाहर जाने की आज्ञा दी। इन सदस्यों ने स्थान ग्रहण नहीं किया। किन्तु ये सदस्य स्वयं या मार्शल की प्रार्थना पर सदन से बाहर चले गये—

श्री कृष्णपालसिंह,

श्री जगन्नाथ राव,

श्री विश्वनाथ प्रसाद,

श्री रक्षपालसिंह,

श्री हिम्मतसिंह,

श्री सुखदेवप्रसाद,

श्री नाथूराम शिक्षक,

श्री सूरजलाल गुप्त वकील,

श्री धूमप्रसाद,

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा,

श्री रघुनाथसिंह,

श्री मैनेजरसिंह,

श्री लोकपालसिंह,

श्री रामसिंह,

श्री नत्थाराम रावत।)

श्री उग्रसेन—

आप किसी मंत्री को तो निकालते नहीं हैं। विरोधीदल के लोगों को ही निकाल रहे हैं। ऐसे ही निकाल दीजिये। आप तो रोज ही निकालते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप को आदेश दिया जाता है कि सदन छोड़ें। नाम का सवाल नहीं है। आप अव्यवस्थित रूप से खड़े हुए हैं। आप कृपया सदन छोड़ें।

श्री उग्रसेन—

मैं यह सदन नहीं छोड़ूंगा। मैं सुचेता जी से कहना चाहता हूं कि यह सरकार निकाली जायेंगी अगर वे हरगोविन्दसिंह जी को नहीं निकालेंगी।

श्री हरगोविन्द सिंह—मुर्दाबाद के नारे लगते रहे।

(श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार मार्शल, श्री उग्रसेन को हाउस गार्ड्स की सहायता से सदन से बाहर ले गये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिवनाथ सिंह, अवधेशकुमार तथा काशीनाथ मिश्र जी, सदन छोड़िये।

एक सदस्य—

हरगोविन्द सिंह जी को गृह मंत्री बना कर सरकार अपने को कलंकित कर रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपने कई बार व्यवस्था दी है कि विरोधी पक्ष के न रहने पर सदन नहीं चलने देंगे, कोई विधेयक आप पास नहीं होने देंगे। इस पर आप व्यवस्था दें कि क्या आप ऐसा करेंगे ?

(श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार, मार्शल की प्रार्थना पर श्री शिवनाथ सिंह तथा श्री अवधेश कुमार सिन्हा सदन छोड़ कर बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय रघुनाथ सिंह, माननीय राधेश्याम शर्मा, आप कृपया सदन छोड़ें।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं सदन त्याग करने के पहले यह जानना चाहता हूं कि आप कल परसों क्या करेंगे ? कल भी यही होगा, परसों भी यही होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं कि सारे कायदे कानून तोड़ कर हरगोविन्द सिंह को पुलिस अत्याचार कर रही है और दूसरी तरफ आप उनको निभाना चाहते हैं। यह दोनों बात कैसे चलेंगी ?

(श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार, मार्शल की प्रार्थना पर श्री रघुनाथसिंह सदन छोड़ कर बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय कमलासिंह जी, माननीय भगवान सहाय, माननीय झारखंडे राय, आप लोग कृपया सदन छोड़ें।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

आप मेरी एक बात सुन लें। मैं आप की बात मान कर बाहर निकलने को तैयार हूं लेकिन मुझे हक है कि मैं जाने के पहले अपनी बात कह दूं। इस सूबे की पुलिस बहुत गैरजिम्मेदार हो रही है। यह रक्षक पुलिस भक्षक का काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष—

आप ने अपनी बात कह दी। आप अब सदन छोड़ें।

माननीय काशीनाथ जी, आप भी सदन छोड़ें।

(श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार, मार्शल की प्रार्थना पर सर्वश्री भगवान सहाय, कमला सिंह गादव तथा काशीनाथ मिश्र सदन छोड़कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय चन्द्रबली सिंह, माननीय लखपतराम, माननीय झारखंडे राय आप लोग कृपया सदन छोड़ें।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मुझे इतना ही कहना है कि यदि इतनी शक्ति का प्रयोग चीन के विरुद्ध किया गया होता तो हिन्दुस्तान का सिर न झुकता।

(श्री लखपतराम शर्मा सदन छोड़कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राधेश्याम जी, माननीय चन्द्रबली सिंह जी, सदन छोड़ें।

(मार्शल की प्रार्थना पर, श्री राधेश्याम शर्मा सदन छोड़कर चले गये। श्री चन्द्रबली सिंह के सदन न छोड़ने पर श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार मार्शल श्री चन्द्रबली सिंह को हाउस गार्ड्स की सहायता से बाहर ले गये।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय रतीपाल जी, राहत मौलाई, माननीय बांकेलाल जी, माननीय रियासत हुसैन, माननीय शराफत हुसेन, माननीय गया प्रसाद और माननीय मंगल देव जी, आप लोग सदन छोड़ें।

श्री झारखंडे राय--

मुझे मान्यवर, एक बात कहनी है। केन्द्रीय सरकार भी कांग्रेस के अधीन ही चल रही रही है। उसमें यह परम्परा देखी गयी है कि यदि विरोधी पक्ष का एक हिस्सा भी कोई सम्मिलित मांग करता है तो उस मांग पर बड़े से बड़ा मंत्री भी अपने पद से हटा दिया जाता है। यहां पर विरोधी पक्ष ने सम्मिलित हो कर एक राय से जो मांग की है उनको सरकार ने मानने से इन्कार कर दिया है। मैं समझता हूं कि अगर जुडिशियल इन्क्वायरी की बात भी सरकार ने मान ली होती तो शायद यह नौबत न आती। इस प्रकार यह सरकार डेमोक्रेटिक फार्म में डिक्टेटरशिप कायम करके तानाशाही के रास्ते पर चल रही है। मैं समझता हूं कि यह गलत है और आप इसमें हमारी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। यह दुख की बात है। मैं समझता हूं कि इस हालत में सिवाय इसके कि हम इसका तीव्र विरोध करें इस प्रकार, और कोई चारा नहीं है।

(श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार मार्शल की प्रार्थना पर, सर्वश्री रतीपाल, राहत मौलाई, बांकेलाल, रियासत हुसैन, शराफत हुसैन, गया प्रसाद, मंगलदेव तथा झारखंडे राय सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय विजयपाल सिंह, माननीय खेमचन्द, माननीय रामकिशोर त्रिपाठी, माननीय नेकराम शर्मा, माननीय बालोजी अग्रवाल, आप सदन कृपा कर छोड़ें।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

इस प्रकार जनतंत्र जीवित नहीं रह सकता। आप प्रजातंत्र के संरक्षक हैं। इस राज्य में तानाशाह पैदा हो गये हैं, इसे बचाया नहीं जा सकता।

श्री नेकराम शर्मा--

मुझे यह निवेदन करना है कि मुख्य मंत्री जी हमारी जो मांग है उसे मानने को तैयार थीं लेकिन अली जहीर साहब ने उन को मानने नहीं दिया, इसका ही मुझे दुख है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप कृपया जायं।

(मार्शल की प्रार्थना पर सर्वश्री विजयपालसिंह, खेमचन्द, रामकिशोर त्रिपाठी तथा बालोजी अग्रवाल सदन छोड़कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय ब्रह्मदत्त मायर, रघुवीर राम, माननीय रघुवीर सहाय, आप कृपया सदन छोड़ें। माननीय भूपसिंह, कृपया आप भी सदन छोड़ें।

(मार्शल की प्रार्थना पर, सर्वश्री ब्रह्मदत्त मायर, रघुवीर राम, रघुवीर सहाय कैथवार तथा भूपसिंह सदन छोड़कर चले गये। इसी तरह समस्त विरोधी दल के सदस्य सदन से बाहर हो गये।)

सीतापुर जिले के सदरपुर थाने में श्री नन्दा के बनावटी कत्ल के मुकदमें के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

यह सीतापुर के संबंध में दिया गया प्रश्न था भगवानदीन जी द्वारा और अवधेशकुमार सिनहा मौजूद नहीं हैं, वह दिलचस्पी नहीं रखते, इस वजह से यह हट गया।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६

मुख्य मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करती हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६३३–६३५ पर)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उप–कुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में संकल्प के प्रस्तावक सर्वश्री रक्षपालसिंह, हरिनाथ तिवारी, जगन्नाथ राव, काशीनाथ मिश्र, उग्रसेन, राधेश्याम शर्मा, शिवनाथ सिंह तथा कमलासिंह अनुपस्थित हैं। यह संकल्प गिर गया।

*सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उपकुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय। यह एक छोटा-सा विधेयक मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बारे में थोड़ी-सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राममूर्ति]

(इस समय १ बजकर ३२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

ऐसा कायदा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी और संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी, इनमें जब उप-कुलपतियों की नियुक्ति होती है तो महामान्य राज्यपाल द्वारा होती है, वही इनके चांसलर हैं । लेकिन उसका प्राविधान यह है कि एक कमेटी बना दी गयी है जिसके मातहत एक नुमाइंदा जिस यूनिवर्सिटी का संबंध हो उसी एग्जिक्युटिव कमेटी के जरिये से नामिनेट होता है, एक राज्यपाल जी करते हैं और एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिये से मनोनीत किया जाता है और उन तीनों आदमियों की कमेटी के जरिये से तीन नाम भेजे जाते हैं। उनमें से राज्यपाल जी जब किसी एक को मंजूर कर लेते हैं तो वह कुलपति हो जाता है। चुनांचे जिन यूनिवर्सिटीज का मैंने जिक्र किया, यहां पर पिछले तीनों कुलपति राज्यपाल द्वारा बनाये गये । एक सज्जन ने हाई कोर्ट में सिंगिल जज के सामने एतराज किया कि इलाहाबाद के चीफ जस्टिस ने बजाय इसके कि किसी और को नियुक्त करें, अपने आप को ही नियुक्त कर लिया। सिंगिल जज ने इस बात में कोई द्वेष नहीं माना और उनकी यह राय थी कि अगर उन्होंने अपने को भी मनोनीत कर लिया तो भी नुकसान नहीं है और चीज वैध है। उसके बाद उसकी अपील की गयी । इसमें एक बेंच बैठी । उसके बाद उसकी अपील हुई बेंच के सामने। बेंच का फैसला सिंगिल जज के खिलाफ हुआ और उनका यह मत हुआ कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को स्वयं अपने आपको मनोनीत करने का अधिकार नहीं था, उन्हें किसी रिटायर्ड जज को या वर्तमान जजों में से ही किसी को नामिनेट करने का अधिकार था । इस फैसले के अनुसार वहां के वाइस चांसलर को हटना पड़ा । इसके अलावा बेंच के फैसले में एक बात यह भी थी कि उनके समय में एग्जीक्यूटिव मीटिंग की जो कार्यवाही हुई वह भी मुनासिब नहीं हुई । वह विधिवत नहीं थी । खाली वाइस चांसलर के हटने का ही मामला होता तब भी कोई इतनी परेशानी की बात नहीं थी, दूसरा नियुक्त कर दिया जाता, परन्तु इस फैसले का तो प्रभाव यह भी था कि जितनी भी पिछली कार्यवाही हुई थी वह सब गलत हो जाती । इसलिये इस सब दिक्कत को दूर करने के लिये अध्यादेश जारी करना पड़ा और उस सब कार्यवाही को जो अब तक हुई थी वैलिडेट करना पड़ा । अगर यह नहीं करते तो दूसरा कोई और रास्ता ही नहीं था पिछली कार्यवाही को वैलिडेट करने का । इसके द्वारा और कोई बात नहीं की गयी है सिवाय इसके कि पिछली कार्यवाही को वैलिडेट किया गया है ।

इसमें बहुत छोटी-सी बात है, और यह एक फार्मल विधेयक है । केवल जो कभी थी उसी को पूरा करने के लिए यह लाया गया है। बदकिस्मती है कि आज विरोधी दल के सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं। जो दूसरे माननीय सदस्य हैं, वे इस पर विचार करें और इसे पास करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो संशोधन उन माननीय सदस्यों के हैं जो कि गैरहाजिर हैं वह नहीं लिये जायंगे । जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, वे बोलें ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है वह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है । हम लोगों को बहुत गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करने की आवश्यकता है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह केवल वैलिडेटिंग विधेयक है, और डिवीजन बेंच के मुताबिक उप-कुलपति की नियुक्ति अगर अवैध मानी जाती है तो सारी कार्यवाही हीं अवैध हो जायेगी । यदि इस ऐक्ट को देखा जाय तो यह स्पष्ट होगा कि वह केवल इतने ही कार्य के लिये इसे नहीं लाये हैं कि उनकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अवैधानिक है, बल्कि वे सारी अनियमितायें और वे सारे अवैध कार्य जिसको डिवीजन बेंच ने अवैध किया था उसको एक तरह से लीगेलाइज करने का प्रयास इन्होंने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि राज्यपाल महोदय को आर्डिनेंस पास करने का अधिकार कान्स्टीट्यूशन ने दिया है और मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि जब दोनों सदनों की बैठकें न हो रही हों और राज्यपाल महोदय यह आवश्यकता समझें कि कोई ऐसी आवश्यक परिस्थिति पैदा हो गई है तो वे आर्डिनेंस निकाल सकते हैं। मैं उनके अधिकार को चुनौती नहीं देना चाहता। लेकिन श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह जरूर बता देना चाहता हूं क्योंकि श्रीमन्, यदि आप देखें कि कान्स्टीट्यूशन की जो परम्परा है जितने आर्डिनेंस राज्यपाल निकालते हैं वे सब अपने डिस्क्रिशन पर नहीं निकालते हैं वरन् मंत्रिमंडल की सलाह पर निकालते हैं। क्योंकि आर्डिनेंस निकालना उनकी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है बल्कि यह एक लेजिस्लेटिव पावर है। वह हमेशा मंत्रिमंडल की राय से किया करते हैं। श्रीमन्, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कोई न कोई निश्चित परम्परा स्थिर करनी पड़ेगी कि राज्यपाल को कितनी सीमा तक आर्डिनेंस निकालने का अधिकार होना चाहिये। अगर यह परिस्थिति पैदा हो जाय और राज्यपाल महोदय यह अनुभव करें कि दोनों सदन बैठे नहीं हैं तो उनको अधिकार प्राप्त है। लेकिन श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से, जिनको डेमोक्रेसी की स्वस्थ परम्परा स्थापित करनी है, यह निवेदन करूंगा कि हायर कोर्टस्, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्णय लेकर उनके निर्णय को निरस्त करने के लिये राज्यपाल महोदय को आर्डिनेंस की पावर मिले, इसको स्वीकार करें कि कम से कम ऐसी चीजों को लेजिस्लेचर के जिम्मे छोड़ दिया जाय।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि यह जो विधेयक हम लोगों के सन्मुख लाया गया है, इसमें डिवीजन बेंच ने यह फैसला किया कि चीफ जस्टिस महोदय ने स्वयं अपने को समिति में मनोनीत कर दिया है, वह गलत है। श्रीमन्, अगर ऐक्ट में उसकी धारा को भी देखें तो स्पष्ट लिखा है कि चीफ जस्टिस किसी अदर पर्सन को जो हाई कोर्ट का जज हो उसको समिति में नियुक्त कर सकता है। उस शब्दावली से अस्पष्ट है कि चीफ जस्टिस स्वयं अपने को नियुक्त नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में जबकि लेटर्स आव दि ला में जो कि हमारे लेजिस्लेचर का ऐक्ट था और चीफ जस्टिस ने अपने को ही नामिनेट कर लिया और डिवीजन बेंच ने यह निर्णय लिया कि उनकी यह मनोनीत करने में कमेटी को लीगेलाईज रूप उन्होंने दे दिया तो श्रीमन् डिविजन बेंच ने स्वयं निर्णय दिया है और उसमें दो राय नहीं हो सकतीं। अब राज्यपाल महोदय ने आर्डिनेंस के माध्यम से जो लेजिस्लेचर का लेटर आव दि लॉ है, उसको भी निरस्त कर दिया और डिवीजन बेंच का जो जजमेन्ट है उसको भी निरस्त कर दिया। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परम्परा होगी। मैं इस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जो हमारे लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया वह ऐक्ट के समर्थन में उनके लेटर्स आव दि ला के समर्थन में हैं। क्या आर्डिनेंस मेकिंग से उनको निरस्त किया जा सकता है। यह गम्भीर प्रश्न है कि जिस पर मैं चाहूंगा कि मंत्रिमंडल विचार करे कि क्या यह स्वस्थ परम्परा हो सकती है। श्रीमन्, यह जो ऐक्ट है यह बड़ा ओवररा इडिंग है। केवल वे उपकुलपति जिनकी नियुक्ति इस माध्यम से कि वह कमेटी इल्लीगेलाईज थी, डिवीजन बेंच ने नहीं माना। केवल उनके कार्यों पर ऐक्ट लाद देते तो मेरे विरोध की गुंजायश नहीं रह जाती है। इसमें यह कह दिया गया कि चीफ जस्टिस ने जो मनोनीत किया है कि उसके अनुसार हम ऐक्ट में अमेन्डमेंट कर देते हैं। कमेटी में रिक्त स्थान हों या न हों, वह कमेटी जब चाहे बने, अपनी संस्तुतियां दे सकती है, उसको स्वीकृति भी इस ऐक्ट के द्वारा दी जा रही है। उस वक्त में जितनी गलतियां हुई हैं उन सब को इस ऐक्ट के माध्यम से सही किया जा रहा है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि यह केवल वेलिडेटिंग ऐक्ट है, ऐसी बात नहीं है। अगर केवल कुछ आर्डर्स को मानने की ही बात होती तब तो किसी ज्यादा विरोध की गुंजायश नहीं थी। लेकिन डिवीजन बेंच ने जो एक स्वस्थ फैसला दिया उसको निरस्त करने के लिये, इसी लेजिस्लेचर द्वारा पास किये एक्ट के अनुसार

[श्री कृष्णानन्द राय]

जो कार्य नहीं हुआ था, उसकी अनुमति देने के लिये, गवर्नर महोदय ने जो यह आर्डिनेंस निकाला है, इस प्रकार की पावर्स हमको उन्हें नहीं देनी चाहिये। इस प्रकार के अध्यादेश निकाले जाना लेजिस्लेचर और जुडीशियरी दोनों के लिये अपमानजनक है और लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। लिहाजा मैं इस विधेयक का समर्थन जरूर करता हूं लेकिन यह जरूर कहता हूं कि सरकार ने स्वस्थ परम्पराओं को नहीं माना है।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक सदन में प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन जो भावनायें उसमें निहित हैं, उनका विरोध करता हूं। श्रीमन्, आज प्रश्न यह नहीं है कि जुडीशियरी ने कुछ फैसला दिया और उस फैसले के ऊपर महामान्य राज्यपाल ने एक अध्यादेश निकाल कर उसको निरस्तर कर दिया। प्रश्न है कि प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के रिप्रेजेन्टेटिव्स ने एक कानून बनाया, उसके विरोध में कुछ नाटिफिकेशन्स और एप्वाइन्टमेंट्स हुए जिनको हाई कोर्ट ने मुताबिक नहीं समझा, उनको कानून के खिलाफ समझा, और उसका यह हुआ कि वाइस चांसलर को उनके पद से हटा दिया गया। अब जुडीशियरी ने जो फैसला दिया था, उसके मान मर्यादा की रक्षा करनी चाहिये थी, इससे स्वस्थ परम्परा पड़ती। इसको न करके जनता की आकांक्षाओं को इस ऐक्ट को लाकर समाप्त किया गया है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

मैं आज देखता हूं कि आज जो मंत्रिगण सरकार में बैठे हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में लेजिस्लेचर को कान्फीडेंस में न लेकर इस बात की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि इल्ल गेलिटी पर पर्दा डालने की कोशिश की है। अच्छा तो यह होता कि ऐसी इल्लीगेलिटी जिसकी ओर जुडीशियरी ने ध्यान आकृष्ट किया था, उसको विधान सभा के सामने लाते। लेकिन सरकार ने तत्काल गवर्नर साहब से अध्यादेश निकलवा कर उसको निरस्त करा दिया। जनतंत्र के लिये इस प्रकार की परम्परा अच्छी नहीं है। जिस कायदे और कानून की सरकार दुहाई देती है और जिसकी रक्षा की शपथ लेकर वह यहां बैठी है, उसी को यहां बैठकर समाप्त कर रही है। जनता जो कायदे कानून बनाती है, उनको यह सरकार यहां बैठ कर खत्म करती है उनकी खिलाफत करती है। इन बातों से जम्हूरियत के ऊपर से जनता का विश्वास समाप्त हो जायगा। इसलिये जो यह इशारा है वह केवल यह नहीं है कि आप आर्डिनेंस निकाल कर सिर्फ एक कानून को निरस्त कर रहे हैं बल्कि प्रश्न यह है कि आप जनतांत्रिक संस्थाओं को कायम रखेंगे और जनतांत्रिक व्यवस्थायें चलायेंगे या नहीं। या आप चाहते हैं कि इसके खिलाफ एक तानाशाही जनतंत्र के अन्दर पैदा की जायगी और केवल कुछ थोड़े से लोगों के हाथ को मजबूत किया जायगा। मैं जानता हूं, मुझे शुब्ह है और मैं शक करता हूं कि यह जो अप्वाइन्टमेंट किया गया है उसकी कोई जरूरत नहीं थी, आप कानून को अपने तरीके पर चलने देते और न्यायालय के निर्णय को चलने देते और साधारण तरीके से जब यह सदन बैठता तो जो कमियां और कमजोरियां थीं जैसे कि अब आर्डिनेंस को बिल के रूप में लाये हैं, वैसे ही एक संशोधन विधेयक आप अब लाते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जनतंत्र की रक्षा कर उन मर्यादाओं का पालन नहीं किया गया। इसलिये मैं कहूंगा कि जितने ऐसे आर्डिनेंस निकल रहे हैं और जो यह व्यवस्था पैदा हो रही है, इसको अगर नहीं रोका गया तो यहां कोई स्वस्थ व्यवस्था नहीं पनपेगी। मुझे अफसोस है कि उधर के बैठने वाले विरोधी दल के सदस्य नहीं हैं, हम उनकी भावनाओं को सुनना चाहते थे, हम चाहते थे कि उनके विचारों को जानकर स्वस्थ जनतंत्र व्यवस्था के अनुसार यहां काम होता और हमें पता लगता कि उन की क्या इच्छा है लेकिन आज वह किसी कारणवश एक प्रोग्राम और प्लान के मातहत सदन में नहीं हैं। हमें इसका अफसोस है और सरकार को भी इसका अफसोस होना चाहिये क्योंकि उनकी भावनाओं और विचारों का आदर इस विषय में हम नहीं कर सकेंगे। फिर भी अब यह जो कुछ भी है और जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी कानून आ गया है, जो भी यह संशोधन आया है इसको तो हमें पास ही करना है जिससे कमियां दूर हो जायं लेकिन आगे के लिये हमें एक रास्ता सोचना पड़ेगा कि जिससे ऐसी स्थिति प्रदेश में न पैदा हो कि जिससे बात तो जनतंत्र की हो और उसकी मुखालिफत की जाय। अगर ऐसा होगा तो जनतंत्र मजबूत नहीं होगा, फलेगा फूलेगा नहीं। इन भावनाओं के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री राममूर्ति—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे २ मित्रों ने अभी यहां भाषण किया और अपनी भावनायें इस बिल के सम्बन्ध में यहां पर उपस्थित कीं। मैं उनके साथ कतई इत्तिफाक करता हूं और मैं खुद चाहता हूं कि जो भी हमारी डेमोक्रेटिक परम्परायें हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पंचायतराज का जो भी हमने मौलिक सिद्धान्त बनाया है उस पर हम को रहना चाहिये और उनके न रहने से हमारा ही नहीं बल्कि तमाम समाज का नुकसान होता है। कुछ प्रोप्राइटी है और हमारे चीफ जस्टिस हैं और बड़ी अथारिटी उनकी है, अच्छा होता कि वह अपने को न मुकर्रर करते। जो हमारे मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालय के २ ऐक्ट बने हैं उसमें हमने लिख दिया है कि चीफ जस्टिस अपने को मनोनीत नहीं कर सकते और उनको अपने अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को रखना चाहिये, यह कोई मुनासिब बात नहीं है और न अच्छी परम्परा होगी कि जिसको मनोनीत करने का अधिकार हो वह अपने को ही मनोनीत कर ले। हमारे पास कोई पावर नहीं है और यह भी नहीं कर सकते कि वैलिडेट करें। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि करना जरूरी हो जाता है तब यह स्थिति आती है। लाखों दस्तखत हुये होंगे उन सब की जांच की जाय यह मुमकिन नहीं था। यह जरूर है कि साधारणतः यह होता है कि अगर हाईकोर्ट नहीं मानता या सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐक्ट गिर जाता है तो उसे असेम्बली में फिर से लाकर हम वैलिडेट करते हैं और उसको रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट देते हैं। उस समय तो नहीं थोड़े दिन बाद असेम्बली होने वाली थी अगर अप्रैल में बिल लाते तो बड़ा समय गुजर जाता है, इसी मजबूरी की वजह से यह बिल लाया गया है।

माननीय सदस्यों ने जो बातें बतालायी हैं, मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूं पर मुझे बड़ा अफसोस है कि आज हमारे विरोधी दल के जो माननीय सदस्य हैं, वे यहां पर नहीं हैं हालांकि हम उनकी सलाह का यों भी फायदा नहीं उठा पाते हैं। हम फायदा उठाना चाहते हैं पर हमें अफसोस है और हमारी मजबूरी है। आखीर में मैं उम्मेद करता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि जो इस वक्त हालत है, उसमें इस विधेयक को मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उपकुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २—४

२—निम्नलिखित प्रत्येक अधिनियमिति, अर्थात्— यू० पी० ऐक्ट

(क) आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ९ संख्या ८, १९२६

(ख) इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ की धारा ११, यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९२१

(ग) लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा १०, यू० पी० ऐक्ट

(घ) गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १३, संख्या ५, १९२०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ और उ० प्र० अधिनियम संख्या २८, १९५६ में उपकुलपतियों की नियुक्ति से सम्बद्ध उपबन्धों का संशोधन ।

(ङ) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १२ (जिन्हें आगे मूल अधिनियमितियां कहा गया है) की उपधारा (४) में—

(१) खंड (१) के, यथास्थिति, उप खंड (बी) या उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय :

"(ख) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो उक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी है, हो या रहा हो, और," तथा

(२) खंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय:—

"(३) समिति के सदस्यों में केवल कोई रिक्त अथवा रिक्तियां होने के कारण अथवा उसकी कार्यवाहियों में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भाग लेने के कारण जिसे बाद में ऐसा करने के लिये हकदार न पाया जाय, उसका कोई कार्य अथवा कार्यवाही अवैध न होगी ।"

समझा जाना और वैधीकरण

३—(१) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुये भी—

(क) मूल अधिनियमितियों में अभिदिष्ट विभिन्न समितियों में काम करने के लिये उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा किया गया अपना ही नाम निर्देशन,

(ख) उक्त समितियों द्वारा आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर, विश्वविद्यालयों तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपति को उक्त विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की नियुक्ति के लिये विभिन्न व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करना, और

(ग) कुलपति द्वारा १७ अप्रैल, १९६५, २८ फरवरी, १९६५ और ८ दिसम्बर, १९६२ को उक्त विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की विभिन्न नियुक्तियां,

इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमितियों के उपबन्धों के अधीन की गयी और वैध समझी जायेंगी और सदैव से वैध रही समझी जायंगी ।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी कुलपति द्वारा किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई बात उक्त उपधारा में अभिदिष्ट, किसी समिति के संघटन में किसी दोष के अथवा उस उप-कुलपति की नियुक्ति में किसी आनुषंगिक दोष के कारण ही न तो अवैध समझी जायगी और न कभी अवैध रही समझी जायगी ।

निरसन तथा अपवाद

४—(१) उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उप-कुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६५ को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम ४ दिसम्बर, १९६५ को प्रारम्भ हो गया हो ।

खण्ड २ से ४

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उप-कुलपतियों की नियुक्ति) संशोधन तथा वैधीकरण, विधेयक, १९६६

आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२०, गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ के कतिपय उपबन्धों को संशोधित करने के लिये और उक्त अधिनियमों के अधीन की गयी उप कुलपतियों की नियुक्ति को मान्य करने के लिये और उनसे संबद्ध प्रासंगिक प्रयोजनों के लिये

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६
यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९२१
यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९२०
उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६,
उ० प्र० अधिनियम २९, १९५६

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उप-कुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा । संक्षिप्त नाम

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राममूर्ति—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उप-कुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उप-कुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६६

श्री उपाध्यक्ष—

इस संशोधन विधेयक के शीर्षक में "तृतीय" शब्द जो छपा हुआ है वह छापे खाने की गलती है। इसे ठीक कर लिया गया है। इसमें केवल शब्द "संशोधन" रह गया है।

*मुख्य मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें प्रिंटिंग की २ गलतियां हैं। एक गल्ती जो शब्द "तृतीय" की है आपने ठीक कर ली है किन्तु दूसरी और भी है जो कि विधेयक के उद्धरण में छपी है। उसमें "३१ दिसम्बर, १९६४" के स्थान पर "३१ दिसम्बर, १९६५" होना चाहिये।

अब मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्वयस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह वो टाउन एरियाज संबंधी विधेयक प्रस्तुत कर रही हूं जिसकी समय-समय पर अवधि बढ़ायी गयी थी। जिला बलिया की टाउन एरिया कमेटी रेवती का निर्वाचन राज्य के अन्य निकायों के साथ नवम्बर, १९६५ में हुआ था किन्तु एक याचिका पर हाई कोर्ट से कुछ हल्कों के निर्वाचन के परिणामों को रोक दिया था। इस रिट के हो जाने के कारण चुनाव घोषित नहीं हो सके। अब वह रिट का कार्य जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक इसका चुनाव फल घोषित नहीं हो सकता है। अतः इस टाउन एरिया के कार्यकाल को १९६५ से १९६६ तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

दूसरा टाउन एरिया कमेटी, जसवन्तनगर, जिला इटावा से संबंधित है। इस संशोधन विधेयक के प्रस्तुत होने का कारण यह है कि यह सुपरसीड एक साल के लिये किया गया था। पर जिलाधीश के अनुरोध पर इसका सुपरसेशन काल एक साल के लिये और बढ़ाया गया। चूंकि टाउन एरिया कमेटी को सुपरसीड करने का २ वर्ष से अधिक कार्यकाल बढ़ाने का सरकार को अधिकार नहीं है। अतः यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके द्वारा एक वर्ष के लिये कार्यकाल बढ़ाया जाना है।

आज हमारे विपक्ष के नेतागण नहीं हैं पर यदि वे यहां पर होते तो जो उनके द्वारा संशोधन प्रस्तुत होते, शायद उनसे भी हम लाभान्वित होते। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २–४

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३ की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के प्रतिबन्धात्मक खंड में अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६५" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६६" रख दिये जावें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३ की धारा ५ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ५ में अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६५" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६६" रख दिये जावें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निरसन तथा अपवाद

४—(१) उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, १९६५ को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १९६५

(२) ऐसे निरसन के हेतु हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम, २३ दिसम्बर, १९६५ को प्रारम्भ हो गया हो।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्थानीम निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६६।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ को आगे दिए हुए प्रयोजनों के निमित्त और संशोधित करने के लिए

बिधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती तारा अग्रवाल—

मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) बिधेयक, १९६६ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन २ बजकर २ मिनट पर सोमवार, ७ फरवरी, १९६६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, बिधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
४ फरवरी, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९० पर)

(१) यह मार्ग ११ मील ४ फर्लांग २२० फीट लम्बा है। इस मार्ग पर इस समय सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, महेश चन्द्र गुप्ता तथा भारत रतन ओवरसियर कार्य कर रहे हैं।

(२) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह को ४ मीलों का कार्य

श्री महेश चन्द्र गुप्त को ५ मीलों का कार्य

श्री भारत रतन को २ मील ४ फर्लांग २२० फीट का कार्य सौंप गया था।

दिनांक ३१–१०–१९६५ तक ओवरसियरों के कार्य का विवरण निम्नलिखित है—

(३) (क) दिनांक १४–९–१९६५ तक

(१) श्री राधेश्याम वैश मील १ से ६ तक

(२) श्री भारत रतन मील ७ से ११–४–२२० तक

दिनांक १५–९–१९६५ से ३१–१०–१९६५ तक

(ख) (१) श्री राधेश्याम वैश मील १ से ४ तक

(२) श्री महेश सिंह चन्द्र गुप्ता मील ५ से ९ तक

(३) श्री भारत रतन मील १० से ११–४–२२०

दिनांक ३१–१०–१९६५ तक प्रत्येक ओवरसियर द्वारा कराये गये कार्य का विवरण :

श्री राधेश्याम वैश—

इन्होंने बागबेंलिग बाउन्डरी पिलर का लगाना, सर्विस रोड बनवाने का एवं मिट्टी का कार्य इत्यादि करवाया जिसमें ७,१०० रु० की लागत लगी।

श्री भारत रतन—

इन्होंने केवल बागबेंलिग एवं बाउन्डरी पिलर लगवाने के ही कार्य किये, जिसमें १५६ रु० की लागत लगी।

श्री महेशचन्द्र गुप्त—

इनके क्षेत्र में पानी अधिक इकट्ठा होने कारण ३१–१०–१९६५ तक कोई कार्य न किया जा सका।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६१ पर)

स्टेट हाईवेज़

उत्तर-दक्षिण

क्रम सं०	स्टेट हाई वे नम्बर	मार्ग का नाम	विलुप्त कड़ियां	
			स्थान	लम्बाई
१	२	३	४	५
१	१	सनौली (नेपाल), नौतनवा, गोरखपुर, बलिया	..	..
२	५	लुम्बिनी (नेपाल), नौगढ़, बस्ती, अकबरपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज, दूदुद्धो	..	..
३	६	उत्तरौला, फैजाबाद सुल्तानपुर, इलाहाबाद	..	..
४	१३	बहराइच, बाराबंकी, हैदरगढ़, रायबरेली फतेहपुर, बांदा ।	हैदरगंज, महराजगंज, जिला रायबरेली और बाराबंकी में ।	१८ मील
५	१७	कानपुर, हमीरपुर, कबराई		
६	२१	बेलेरैन, निघासन, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, औरइय्या जालौन उरई, पनवारी ।	..	..
७	२५	पलिया, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ ..	..	..
८	२६	लीपूलेख तवाघाट, पिथौरागढ़, खतिमा, पीलीभीत शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, भिंड (ग्वालियर)	उत्तराखंड में	७५ मील
९	३३	पीलीभीत, बरेली, बदायूं, शिकन्दराराऊ, मथुरा, भरतपुर ।	..	..
१०	३७	बरेली, अल्मोड़ा, बागेश्वर ..	..	..
११	३९	चंदौसी, डिबाई, अलीगढ़, आगरा, जगनेर, तांतपुर कोट (स्टेट बाउन्डरी तक) ।	तांतपुर से स्टेट बाउन्डरी तक (आगरा में)	३
१२	४१	टेहरी, पौड़ी, थालीसेन, बैजराव, रामनगर, मुरादाबाद ।	मुसागोली थाली-लेन सिबसी (गढ़वाल में)	४७

क्रम सं०	स्टेट हाई वे नम्बर	मार्ग दर्शन	विलुप्त कड़ियां	
			स्थान	लम्बाई
१	२	३	४	५
१३	४३	मुरादाबाद, चंदौसी, बदायूं, फर्रुखाबाद ..	जरीनपुर अमृतपुर (शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद में)	
१४	४५	देहली, मेरठ, रुड़की, हरिद्वार, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, मलारी, नितिपास।	उत्तराखंड में	५५
१५	४९	मुरादाबाद, नगीनाकोतवाली, नजीबाबाद, हरिद्वार, देहरादून।	नजीबाबाद, हरिद्वार (बिजनौर में)	३२
१६	५३	ऋषिकेश, टेहरी, उत्तरकाशी, गंगोत्री ..	उत्तराखंड में	२०
१७	५५	अम्बाला, सहारनपुर, देहरादून, मंसूरी ..	..	..
१८	५७	देहली, बाघपत, सहारनपुर, लखवार, जमनोत्री	उत्तराखंड में	२०

स्टेट हाईवेज पूर्व पश्चिम

१	२	३	४	५
१	६	कर्णप्रयाग, रानीखेत, अल्मोड़ा, बेरीनाग, चौकोरी, आसकोट।	बेरीछीना, बेरीनाग (अल्मोड़ा में)।	२२
२	१२	पानीपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हलदौर, धामपुर, आजमगढ़, काशीपुर, किच्छा, खतीमा।	बिजनौर, हलदौर (बिजनौर में)	१३
३	१८	मेरठ, बुलन्दशहर, नरौरा, बदायूं ..	..	..
४	२२	देहली, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, अलीगढ़, एटा कानपुर।	..	..
५	२६	पीलीभीत, पुरनपर, लखीमपुर, नानपारा, बहराइच, उत्तरौला बस्ती।	..	..
६	३०	बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, आजमगढ़ ..	..	..
७	३४	लखनऊ, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया ..	..	..
८	३६	लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी	..	..
९	३८	बिलग्राम, उन्नाव, इलाहाबाद ..	..	..
१०	४४	झांसी, पनवारी, बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर	..	..

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६२ पर)

१९६२–६३ से सरकार के ६२ संस्कृत पाठशालाओं की दो श्रेणियां प्रथम व द्वितीय बनाई हैं। ऐसे संस्कृत महाविद्यालय जिन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय की १९६२ की परीक्षा में शास्त्री एवं आचार्य की परीक्षाओं में कम से कम १५ परीक्षार्थी प्रविष्ट किये थे, प्रथम श्रणी म रखे गये। संस्कृत महाविद्यालय, जिन्होंने प्रथमा से आचार्य तक की परीक्षाओं में कम से कम ३० परीक्षार्थी प्रविष्ट किये थे द्वितीय श्रेणी में रख गये। प्रथम तथा द्वितीय श्रणी के विद्यालयों को संशोधित वेतन-क्रम के आधार पर सरकारी सहायता दी जाती है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९२ पर)

तालिका (ख) (प्रश्न संख्या ११ में वर्णित)

संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निम्नलिखित वेतन-क्रम स्वीकृत हैं :

अध्यापक वर्ग		वेतन-क्रम
		रु०
प्रोफेसर	..	१,०००–५०–१,५००
रीडर	..	७००–४०–११००
लेक्चरर	..	४००–३०–६४०–४०–८००
इंस्ट्रक्टर	..	२००–१०–३१० द० रो०–१४–४५०

संस्कृत महाविद्यालय के अध्यापकों को निम्नलिखित वेतन-क्रम स्वीकृत हैं :

प्रथम श्रेणी—		
प्रिंसिपल	..	२५०–२५–४००–द० रो०–३०–७०० द० रो० ५०–८५० ।
प्रोफेसर	..	२५०–२५–५००
असिस्टेन्ट प्रोफेसर	..	१५०–८–१९०–१२–३५०
शिक्षक	..	७५–५–१२०–द० रो०–८–२००
द्वितीय श्रेणी		
प्रिंसिपल	..	२५०–२५–५००
टीचर	..	१२०–८–२००–१०–३००
असिस्टेन्ट टीचर	..	७५–५–१२०–द० रो०–८–२००

आदर्श संस्कृत विद्यालय के अध्यापकों को निम्नलिखित वेतन-क्रम स्वीकृत हैं :

हेड पंडित	..	१२० रु० प्रति मास ।
पंडित	..	७५ रु० प्रति मास ।

नत्थी 'ड'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६१९ पर)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्प कालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६

१ फरवरी, १९६६ को और उसी दिनांक से राज्य की नगर महापालिकाओं के प्रशासन के लिए कुछ अस्थायी प्रबन्ध करने और उनसे सम्बन्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा ।

महापालिकाओं के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

२—३१ जनवरी, १९६६ को कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद तथा लखनऊ महापालिकाओं के कार्यकाल की बढ़ायी गयी अवधि की समाप्ति पर उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध १ फरवरी, १९६६ को और उसी दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक कि उक्त अधिनियम की धारा ९ के अधीन उक्त महापालिकाओं का पुनः संगठन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, प्रत्येक उक्त महापालिका के सम्बन्ध में, निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, महापालिका के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सभासद, विशिष्ठ सदस्य तथा मुख्य नगराधिकारी अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे ।

(ख) महापालिका, उसके नगर प्रमुख, उप-नगर प्रमुख, उसकी कार्य कारिणी समिति, विकास समिति तथा अन्य समितियों के और मुख्य नगराधिकारी के सभी अधिकार, कृत्य तथा कत्तव्य, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रसाशक में निहित हो जायेंगे और प्रशासक द्वारा ही उनका प्रयोग, निष्पादन तथा पालन किया जायेगा और ऐसा प्रशासक विधि की दृष्टि में, महापालिका नगर प्रमुख, उप-नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति या अन्य समिति अथवा मुख्य नगराधिकारी समझा जायगा, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो;

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, ऐसा प्रशासक पिछले अन्तिम खण्ड द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के सम्बन्ध में—

(१) इस प्रकार प्रदत्त अधिकारों को, ऐसा शर्तों के अधीन जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, प्रतिनिहित कर सकता है;

या

(२) ऐसे निकाय या समिति से परामर्श कर सकता है जो उसके द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट रीति से संगठित की जाय :—

(घ) प्रशासक का वेतन तथा भत्ते जो राज्य सरकार के सामान्य

या विशेष आदेशों द्वारा तदर्थ निश्चित किये जायें, महापालिका निधि की में से दिये जायेंगे;

(ङ) राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे प्रासंगिक या आनुषंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध का अनुकूलन, परिवर्तन, परिष्कार या उसके प्रवर्तन को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निलम्बित करने का उपबन्ध भी है, बना सकती है, जो उसे पूर्ववर्ती तथा सम्बन्ध किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो ।

निरसन तथा अपवाद

३—(१) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, १९६६ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के हेतु हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम २५ जनवरी, १९६६ को प्रारम्भ हो गया हो ।

विधान परिषद

उद्देश्य और कारण

राज्य में नगर महापालिकाओं का पिछला सामान्य निर्वाचन वर्ष १९५९-६० में हुआ था और महापालिकाओं का छः वर्ष का कार्यकाल, जिसके अन्तर्गत बढ़ायी गयी अवधि भी है, ३१ जनवरी, १९६६ को पूरा होने को था। यह वांछनीय नहीं समझा गया कि उनका कार्यकाल निर्वाचकों का फिर से मत प्राप्त किये बिना और आगे बढ़ा दिया जाय। पर साथ ही, राष्ट्रीय आपात के कारण इन निकायों का फिर से सामान्य निर्वाचन कराने के लिये प्रबन्ध नहीं किया जा सका। अतएव, उक्त महापालिकाओं के प्रशासन के संबंध में अन्तरिम अवधि के लिये विशेष प्रबन्ध करना आवश्यक था। चूंकि राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, ऐसा प्रबन्ध करने के लिये एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया।

तदनुसार उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २०६ एस० ए०—१९६६—८१२।